खण्ड-148, अंक-4
सोमवार, 25 माघ, शक संवत् 1876
(14 फरवरी, 1955 ई0)

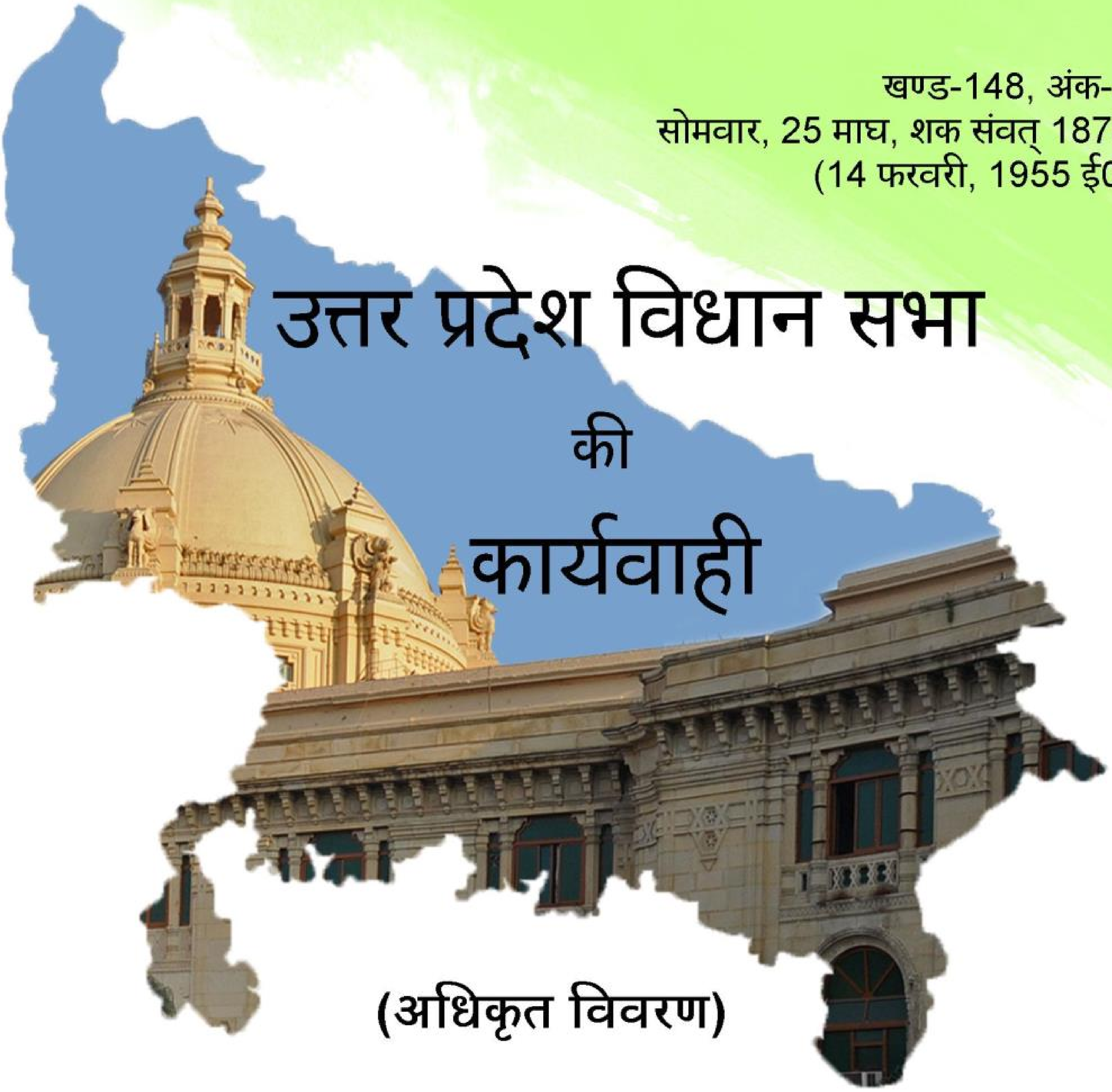

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 148 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १४ फरवरी, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में, ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३३२)

अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसेन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र ,श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरधारीलाल , श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
घनश्याम दास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री

जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बसन्तलाल, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेदुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री

भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नीलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद सआदतअली खां, राजा
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेंद्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

लक्ष्मण दत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
बासुदेवप्रसाद, मिश्र श्री
विचित्रनारायण, शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विश्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन सिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेंद्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलालदास, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १४ फरवरी, १९५५

तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले में पशु चिकित्सालयों पर व्यय

*१--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील में कहां-कहां पशु चिकित्सालय हैं और उन पर हर एक मद में कितना व्यय होता है ?

कृषि मंत्री के सभासचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)--आजमगढ़ जिले में, मऊ नाथ भंजन, फूलपुर, आजमगढ़ और घोसी स्थानों पर एक-एक पशु चिकित्सालय हैं जो क्रमशः मोहम्मदाबाद, फूलपुर, आजमगढ़ और घोसी तहसीलों में स्थित हैं। इन चिकित्सालयों पर प्रतिवर्ष हर मद में व्यय की एक सूची नत्थी है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २८३ पर)

श्री राम सुन्दर पांडेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में जो चार पशु अस्पताल हैं उनमें किस पशु अस्पताल का भवन सरकारी है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--मऊ का अस्पताल किराये की बिल्डिंग में है और सदर की जो बिल्डिंग थी वह किराये पर थी लेकिन ले ली गई है और उसके लिये मुकदमा चल रहा है और बकिया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की बिल्डिंग्स हैं ।

श्री राम सुन्दर पांडेय--क्या सरकार को मालूम है कि घोसी में जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का भवन है उसके अलावा कम्युनिटी प्रोजेक्ट की ओर से भी सरकारी भवन अस्पताल के बने हुये हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--उसके आलावा मुझे तो इस वक्त और कोई इत्तला नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह जो घोसी अस्पताल के लिये ४५ रुपये की इमारत की मरम्मत के लिये सहायता दी गई है इसके अलावा सरकार की ओर से कोई और सहायता क्या मरम्मत के लिये दी जाती है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जो सहायता दी गई है वह सब जो सूची दी गई है उसमें लिखी है। माननीय सदस्य पढ़ लें तो मालूम हो जायगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार के पास इस प्रकार की शिकायत आई है कि २२ हजार रुपये में से केवल ५६९ रुपया १५ आना ६ पाई जो दवाई में खर्च होता है, वह बहुत कम है और पशुओं के लिये दवाई का इंतजाम अस्पताल में नहीं है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जो रुपया दवाई के लिये दिया जाता है वह वहां की जरूरत के लिहाज से दिया जाता है। ऐसी शिकायत अक्सर रहा करती है कि जितनी जरूरत है उस हिसाब से रकम कम है और उसको बढ़ा दिया जाय ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस दवाई के मद में सरकार की ओर से सहायता क्यों नहीं प्रदान की जाती है अस्पतालों को ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--सरकार की ओर से वेटेरीनेरी असिस्टेंट और प्यून की तनख्वाह दी जाती है ।

आजमगढ़ जिले में मत्स्य संवर्द्धन योजना पर व्यय

*२--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़ में मत्स्य संवर्द्धन योजना के अन्तर्गत कितने कर्मचारी किन-किन तहसीलों के कितने-कितने तालाबों पर काम कर रहे हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--आजमगढ़ जिले में मत्स्य विभाग का कोई कर्मचारी नहीं नियुक्त किया गया है।

*३--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष ५३-५४ और ५४-५५ में उक्त जिले में मत्स्य से कितनी आय हुई और कर्मचारियों पर कितना व्यय हुआ ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--मत्स्य सम्वर्द्धन योजना के अन्तर्गत आजमगढ़ जिले से १९५३-५४ और १९५४-५५ (दिसम्बर, १९५४ तक) में क्रमशः १८३३ रु० १० आ० ९ पाई और ५०४ रु० ५ आना ६ पाई की आमदनी हुई। कर्मचारियों पर कुछ भी व्यय नहीं हुआ।

श्री रामसुन्दर पान्डेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मत्स्य विभाग से जो सरकार को आमदनी प्राप्त हुई है इसकी तालिका किन कर्मचारियों द्वारा एकत्रित की गई है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--डिपार्टमेंट की तरफ से एकत्रित की जाती है। आजमगढ़ जिले में इस काम के लिये जौनपुर में जो स्टाफ है उसी के जरिये आयी होगी।

देवरिया जिले की सलेमपुर तहसील के बाढ़ पीड़ित को सहायता

*४--श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि देवरिया जिला में तहसील सलेमपुर में गत बाढ से पीड़ित क्षेत्र में सरकार ने कितने रुपये की सहायता की ?

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)--सरकार ने सलेमपुर तहसील में बाढ़ पीड़ितों की निम्नलिखित सहायता की :--

(१) १५,००० रुपये की तकावी, २,००० रुपये पीने के पानी की सुविधा के लिये हैंड पंप लगाने की तथा २,००० रुपये गिरे हुये मकानों को बनाने अथवा मरम्मत करने के लिये दिया।

(२) चारे की कमी को दूर करने के लिये ८ वैगन भूसा तथा ७३ वैगन सूखी घास मुफ्त वितरित की गई।

(३) लगभग २६१३ गज विभिन्न प्रकार के वस्त्र, ५०० कमीजें, ९२ स्लिप ओवर एक गांठ सिले कपड़े, ११६ जोड़ा धोतियां तथा १७० जोड़ा साड़ियां मुफ्त वितरित की गईं।

(४) बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के स्कूलों में जुलाई से नवम्बर, १९५४ तक की फीस माफ कर दी गई।

(५) सभी सरकारी पावनों की वसूली स्थगित कर दी गई। जिलाधीश ने खरीफ १३६२ के लगान में ७२,७०८ रु० ५ आने की छूट का प्रस्ताव किया है, नियमानुसार जितनी उचित होगी छूट दी जायेगी।

नोट--तारांकित प्रश्न ४ श्री रामसुभग वर्मा ने पूछा।

(६) तहसील में टेस्ट वर्क भी चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुटीर उद्योग विभाग के बरहज में तथा सलेमपुर में बढ़ई गीरी की तथा लार में साबुन बनाने का प्रशिक्षण तथा उत्पादन केंद्र खोल रक्खा है।

गांव समाजों के अन्तर्गत बंजर भूमि

*५—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ऐसी कितनी बंजर भूमि है जो कि गांव समाजों की कुल भूमि के दस प्रतिशत से अधिक है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस सूचना को एकत्रित करने में कुछ समय लगेगा और कुछ धन भी और यह सूचना वैसे भी आगामी पंचायत राज चुनाव, जो कि मई और जून में होने वाला है, के अनन्तर बेकार हो जायगी। नई गांव पंचायतों के रजिस्टर बन जाने के बाद ही इस प्रकार के सही-सही आंकड़े सन् १९५७ में उपलब्ध हो सकेंगे।

श्री महीलाल—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान गांव समाजों को जो सम्पत्ति रजिस्टर सरकार की ओर से बनवा कर दिये गये हैं उनमें इन बंजरों का जिक्र नहीं है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—उसमें है। लेकिन बतलाया गया कि सूचना इकट्ठा करने में देर होगी और चुनाव के पहले जितनी दिक्कत होगी और जितना रुपया खर्च होगा उसके अनुसार इस वक्त कुछ करना उचित नहीं मालूम होता।

रोडवेज स्टेशन, बिलारी व मुरादाबाद का निर्माण

*६—श्री महीलाल—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज स्टेशन, बिलारी व मुरादाबाद जिला मुरादाबाद के स्टेशन (रोडवेज) कब तक तैयार हो जायंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—बिलारी में जमीन लेने की कार्यवाही करीब-करीब पूरी हो चुकी है और आशा है कि इस वर्ष पक्का स्टेशन बन जायगा। मुरादाबाद में १९५५-५६ में स्टेशन बनाने का विचार है।

श्री महीलाल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बिलारी में जो जमीन लेने की कार्यवाही हो रही है वह कितने दिनों से हो रही है ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—कब से कार्यवाही चल रही है, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है। लेकिन कार्यवाही पूरी हो चुकी है, दखल लेना बाकी है।

श्री महीलाल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस वर्ष का जो जिक्र किया गया है उत्तर में उसका अभिप्राय वित्तीय वर्ष से है या दिसम्बर में समाप्त होने वाले वर्ष से ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस वर्ष के माने यह हैं कि जो वर्ष अभी चल रहा है।

श्री महीलाल—इस समय दोनों ही वर्ष चल रहे हैं। वित्तीय वर्ष ३१ मार्च को समाप्त होने जा रहा है और दूसरे वर्ष का द्वितीय महीना है। तो मेरा मतलब यह है कि ३१ दिसम्बर को खत्म हो ाले वर्ष के अन्त तक यह कार्यवाही पूरी होगी या ३१ मार्च तक ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जब तक सन् १९५५ पूरा होगा तब तक पूरी हो जायगी।

खड्डा-छितौनी रेलवे लाइन को बाढ़ से बचाने के लिए व्यय

*७--श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--क्या माल मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत बैठक में सदन में बाढ़ सम्बन्धी विवाद के अवसर पर उन्होंने बाढ़ से सम्बन्धित जिले के अफसरों को भी बुलाया था? यदि हां, तो किन जिलों के किन अफसरों को?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी नहीं। बाढ़ सम्बन्धी विवाद के अवसर पर बाढ़ से सम्बन्धित जिले के किसी अफसर को नहीं बुलाया गया था।

*८--श्री गेंदा सिंह (अनुपस्थित)--बाढ़ की बहस में राजस्व मंत्री तथा मुख्य मंत्री के कथनानुसार जिले के अधिकारियों ने खड्डा-छितौनी रेलवे लाइन को बचाने में जो परिश्रम किया उसमें क्या कार्यवाही की गई थी और उसमें कितना व्यय किया गया था?

श्री चतुर्भुज शर्मा--खड्डा-छितौनी रेलवे लाइन को बचाने में जिला अधिकारियों की ओर से क्षेत्र के एस० डी० ओ० या तहसीलदार उस स्थान पर तहसील के २ कर्मचारियों तथा ४ चपरासियों के साथ एक महीने तक रहे और रेलवे इंजीनियरिंग विभाग के मजदूरों को सामानों आदि से पूरी सहायता पहुंचाई। मजदूरों के भोजन, यातायात व औषधि का प्रबन्ध किया। आवश्यकता पड़ने पर रात्रि में लाइन की देखभाल की। जिले के बड़े अधिकारियों...जिलाधीश आदि ने इस स्थान का समय-समय पर निरीक्षण किया तथा रेलवे लाइन को कटने से बचाने में स्वयं भी श्रमदान दिया।

मजदूरों तथा उस क्षेत्र के पीड़ित व्यक्तियों को मुफ्त भोजन आदि का प्रबन्ध करने में लगभग ४,००० रु० व्यय हुआ तथा ५०० रुपये की कमीजें वितरित की गईं। इसके अतिरिक्त लक्ष्मीदेवी शुगर मिल्स, छितौनी ने रेलवे लाइन की मरम्मत और सैलाब के सिलसिले में २१,८०० रु० के लगभग खर्च किया।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सही नहीं है कि जिलाधीश, देवरिया उस दिन किसी काम से माल मंत्री जी के यहां आये हुए थे और अधिकारी गैलरी में बैठे हुए थे?

श्री चरण सिंह--जी, वह यहां आये हुए थे। गैलरी में बैठे थे या नहीं बैठे थे, यह मुझे याद नहीं। लेकिन सवाल तो यह है कि बुलाया गया था या नहीं। बुलाया कोई नहीं गया था।

देवरिया जिले में गंडक नदी के कटाव से अमवा व पिपरा घाट को क्षति

*९--श्री गेंदा सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि देवरिया जिला की पडरौना तहसील के अमवा खास तथा पिपरा घाट की कितनी जमीन बड़ी गंडक ने काट ली, कितने घरों को वहां से हटाना पड़ा और सरकार ने इस सम्बन्ध में २० सितम्बर, १९५४ के पहिले क्या-क्या सहायता की?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इस वर्ष गंडक नदी ने ग्राम अमवा तथा पिपराघाट की क्रमशः ११० तथा २० एकड़ भूमि काट दी है तथा इन ग्रामों से क्रमशः ३९५ तथा १,००० घरों के परिवारों को हटाना पड़ा।

नोट--तारांकित प्रश्न ७-९ श्री रामसुभग वर्मा ने पूछे।

इन ग्रामों की २० सितम्बर, १९५४ के पूर्व निम्नलिखित सहायता की गई :—

ग्राम		अहेतुक सहायता	तकावी
		रु०	रु०
अमवा	..	२,०००	२१,०२५
पिपराघाट	..	३,०००	७,९३५

बाढ़ के समय इन ग्रामों के निवासियों को सुरक्षित स्थान पर हटाने के लिये नावों का समुचित प्रबन्ध किया गया।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो घर कटाव से हटाये गये उनके बसाने के लिये सरकार ने अपनी तरफ से कोई जमीन का बन्दोबस्त किया था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—उनकी जो सहायता की गयी वह बतलायी गयी और जमीन भी जो पड़ी होगी वह दिलायी गयी होगी।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिस जमीन पर वे लोग हट करके बसे उस जमीन का उन लोगों को मुआविजा भी देना पड़ा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसकी कोई सूचना नहीं है, नोटिस की जरूरत पड़ेगी। अगर आप चाहें तो फिर बाद में बतलाया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उजड़े हुए घरों को फिर से बसाने के लिये उन किसानों को कुछ आर्थिक सहायता घर बनाने के लिये सरकार देगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसका तो जवाब दे दिया गया है। जो सहायता दी गयी वह बतला दी गयी है।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों के खेत कटाव में पड़ गये उन खेतों के लगान को माफ करने के लिये कोई व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री चरण सिंह—वह तो रेवेन्यू मैनुअल में नियम बने हुये हैं। जब जमीन ही नहीं रही तो फिर उसकी मालगुजारी कैसी।

गोंडा जिले की तरबगंज तहसील के बाढ़ पीड़ितों को तकावी

*१०—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा की तहसील तरबगंज में बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के किसानों से तकाबी के लिये कितनी अर्जियां आयीं हैं और कितने को तकाबी १-८-५४ से ३०-९-५४ तक दी गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—गोंडा जिला के तहसील तरबगंज में बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के किसानों से तकाबी के लिये कुल ३८५ अर्जियां प्राप्त हुई थीं। परन्तु ता० १-८-५४ से ३०-९-५४ तक ऐसे किसानों की केवल ६२ अर्जियां प्राप्त हुईं और उन सभी को तकाबी दी गई।

श्री गंगा प्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तकाबी लेने के लिए किसानों को हफ्तों लेखपाल या कानूनगो के यहां पड़ा रहना पड़ता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री गंगा प्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तकावी देने के जो तरीके हैं उनमें तब्दीली करने के लिये सरकार विचार कर रही है जिससे किसानों को आसानी से तकावी मिल जाय ?

श्री चरण सिंह—जितनी दरख्वास्तें इसमें पड़ी थीं ३८९, उनमें से ३६२ को तकावी मिली, सबकी दरख्वास्त बैल के खरीदने के लिये थी और प्रायः सबको तकावी मिली छोटा हो या बड़ा और जहां तक छोटों को रिआयत देने का सवाल है, उसके लिये पिछले साल आर्डर्स जारी हो चुके थे कि अगर रुपया कम हो तो निस्बतन जो छोटा किसान है उसको दिया जाय । तो जो सवाल माननीय सदस्य ने किया उससे साल भर पहले आर्डर्स हो चुके थे।

तराई भावर, जिला नैनीताल के खाम सुपरिन्टेन्डेन्ट के लिए रखे गए हाथी

*११—श्री राम दुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि तराई भावर (जिला नैनीताल) के खाम सुपरिटेंन्डेंट के अधिकार में कितने सरकारी हाथी और ऊंट हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—तराई भावर के खाम सुपरिटेंडेंट के अधिकार में ३ हाथी हैं। ऊंट कोई नहीं है।

*१२—श्री राम दुलारे मिश्र—उपर्युक्त हाथियों और ऊंटों से कौन-कौन काम लिये जाते हैं तथा उन पर वार्षिक खर्च क्या होता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह हाथी अधिकारियों के उन स्थानों के दौरों में काम आते हैं जहां सड़कें अभी नहीं बनी हैं तथा जंगली पशुओं के कारण आने जाने का कोई अन्य साधन उपयोगी नहीं है। इन हाथियों पर वार्षिक व्यय लगभग ६,००० रुपये होते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार के पास शिकायतें आई हैं कि इन हाथियों के रखरखाव का ठीक इन्तजाम नहीं है, क्योंकि ये काश्तकारों के खेतों पर स्वतन्त्रतापूर्वक चरा करते हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी ।

जौनसार बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख अधिनियम के अन्तर्गत कोल्टा काश्तकारों के अधिकार

*१३—श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार का विचार जौनसार बावर भूमि अधिनियम के अन्तर्गत कोल्टा लोगों को भी सम्मिलित करने का है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसमें सरकार के विचार करने का प्रश्न नहीं है। जौनसार बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख विधेयक के प्रावधानों के अनुसार वे सब अधिकार जो काश्तकारों को दिये गये है उन कोल्टाओं को उपलब्ध है, जो 'काश्तकार' हैं और उनमें ऐसे लोग सम्मिलित हैं जिनके पास भूमि सेवा के उपलक्ष में है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या प्रदेशीय सरकार का ध्यान भारत के शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की वार्षिक रिपोर्ट की तरफ गया है जिसमें उन्होंने बहुत शोक और दुख प्रकट किया है कि जौनसार बावर के बहुसंख्यक कोल्टाओं को उनकी संख्या के अनुपात में भूमि अधिनियम के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया ?

श्री चरण सिंह--यह रिपोर्ट तो कोई मेरे नोटिस में नहीं आई है, लेकिन अखबार में इस किस्म की रिपोर्ट जरूर आई है और उस पर हमने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से तहकीकात करायी। उन्होंने कहा कि यह बात बिल्कुल गलत है। उसमें शिकायत यह थी कि लोग बेदखल हो रहे हैं, और आपकी इजाजत से इतना और अर्ज करना चाहता हूं कि जौनसार बावर के सिलसिले में एक बिल यहां पेश हुआ था कि बाजगी और कोल्टाओं को अधिकार मिले या नहीं। उस वक्त मैंने जो आंकड़े बतलाये थे, मैं स्मरण शक्ति पर कहता हूं कि जितनी उनकी आबादी थी साढ़े सत्तरह परसेंट, जमीन भी ठीक उसी अनुपात में थी।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या सरकार ने ऐसे कोई आंकड़े तैयार कराये हैं कि उक्त अधिनियम के अनुसार अब तक कितने कोल्टा काश्तकारों को उससे लाभ पहुंचा है?

श्री चरण सिंह--जो बिल पेश हुआ था उस वक्त सारे आंकड़े बतलाये गये थे। उनकी आबादी साढ़े सत्तरह परसेंट थी और इत्तफाक से उतनी ही जमीन कोल्टा और बाजगियों के जेर काश्त है और कोई बेदखल नहीं हुआ।

कुमायूं रोडवेज के हड़ताली कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति

*१४--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि कुमाऊं रोडवेज के हड़ताली कर्मचारियों को अभी तक हड़ताल वापस लेने पर भी ड्यूटी नहीं दी गई है? अगर हां, तो क्यों नहीं?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह सही नहीं है कि कुमायूं रोडवेज के कर्मचारियों को जगह नहीं दी जा रही है। उनमें से कुछ आदमियों को जगह दी जा चुकी है और जैसे जैसे वैकेन्सीज होती रहेंगी वैसे-वैसे उन लोगों को जो माफी मांग चुके हैं और जिनका पिछला रिकार्ड ठीक रहा है तथा जिनका हड़ताल में बड़ा कसूर नहीं था, जगह दी जायगी। यह आदेश दिये गये हैं कि नई भर्ती तब तक न की जाय जब तक इन लोगों को जगह न मिल जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब कितने हड़ताली कर्मचारियों को जगह दी जा चुकी है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि कुमायूं रोडवेज बरेली रीजन का हिस्सा है और उक्त हड़तालियों को बरेली रीजन में जगह होते हुये भी नहीं दी गई?

श्री चतुर्भुज शर्मा--बरेली रीजन का यह हिस्सा है, आपके सवाल का पहला पोर्शन तो सही है लेकिन दूसरा भाग सही नहीं है?

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि उक्त सभी कर्मचारियों को इसी आने वाले सीजन में ले लिया जायगा?

श्री चतुर्भुज शर्मा--ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता। जिस तरह से जगह दी जायगी वह नीति बतला दी गई है।

प्राइवेट व पब्लिक कैरियरों के परमिट

*१५--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार बतलायेगी कि पिछले ३ वर्षों में विभिन्न रीजनों से प्राइवेट व पब्लिक कैरियरों के कितने परमिट दिये गये?

श्री चतुर्भुज शर्मा--सूचना निम्न प्रकार है :--

रीजन		प्राइवेट कैरियर परमिट	पब्लिक कैरियर परमिट
मेरठ	..	१५५	४०
गोरखपुर	..	४६	३४
इलाहाबाद	..	११८	३९८
कानपुर	..	१४६	२६५
बरेली	..	१२८	१६४
आगरा	..	७६	४९
लखनऊ	..	७९	२९३
कुमायूं	..	१२	८

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार ने किसी जी० ओ० द्वारा प्राइवेट कैरियर और पब्लिक कैरियरों के परमिट दिये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रायोरिटी निर्धारित की है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसके लिये प्रायोरिटी का सवाल नहीं है। जो रूल्स बने हुये हैं उनके अनुसार परमिट्स दिये जाते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह कुमायूं रीजन के सम्बन्ध में सही है कि एक जी० ओ० ऐसा निकाला गया था कि भोटियाओं को उनकी निर्धनता के कारण परमिट्स दिये जाने में प्रीफ्रेन्स दिया जाय ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--प्लानिंग कमीशन का जो सब से लेटेस्ट जी० ओ० निकला है उसके अनुसार सरकार परमिट देने के सम्बन्ध में अपनी नीति को बदलने जा रही है ?

श्री चरण सिंह--उन्होंने परमिट की तादाद पूछी थी, न कि नीति के मुताल्लिक। इस सबके लिये तो तैयार नहीं होकर आया था।

सहजनवां, जिला गोरखपुर में अध्यापकों तथा विद्यार्थियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के सम्बन्ध में दो कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--मेरे पास श्री नारायणदत्त तिवारी जी ने एक काम रोको प्रस्ताव भेजा और दूसरा श्री झारखंडे राय जी ने भेजा। मैं समझता हूं कि दोनों एक ही स्थान के सम्बन्ध में हैं। मेरे पास पहले श्री नारायणदत्त जी का प्रस्ताव आया इसलिये मैं पहले उसको पढ़ कर सुना देना चाहता हूं। वह इस प्रकार है :--

"इसी ११ फरवरी, १९५५ ई० को गोरखपुर से १६ मील दूर सहजनवां नामक स्थान पर छात्रों और अध्यापकों पर पुलिस द्वारा चलाई गई गोली तथा लाठीचार्ज, जिसके परिणामस्वरूप दो अध्यापक एवं ५० विद्यार्थी घायल हुये, से उत्पन्न विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये आज यह सदन अपना कार्य स्थगित करता है।"

उस वक्त ११ तारीख और १२ तारीख, दोनों दिन राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में विवाद चल रहा था जिस वक्त का यह वाकया है। मैं नहीं जानता हूं कि आज उसके लिये कामरो को प्रस्ताव क्यों लाया गया जब कि वह वाकया उस रोज का है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला फैजाबाद)—उस दिन सूचना नहीं थी, १२ तारीख की शाम को सूचना मिली।

श्री अध्यक्ष—यही तो मैं जानना चाहता हूं कि काम रोको प्रस्ताव के लिये अगर यह सूचना बाद में आयी तो वह कैसे आयी, उसका सोर्स क्या है ? ये सब चीजें मेरे पास आजानी चाहिये ताकि एकदम अखबार में पढ़कर अगर यह चीज आ जाय .....

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या एक मिनट में कह सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं पहले जिक्र कर दूं कि अगर कोई कठिनाई इस विषय में आती है, एक दम से जब चीज आती है, तो मैं तत्काल फैसला नहीं दे सकता उस विषय के ऊपर कि वह वैध है या अवैध है, जब तक कि मेरे पास कोई वाकयात के संबंध में कि कोई वाकया हुआ भी है या नहीं किस सोर्स से मालूम हुआ है वह रिलाएबिल है या नहीं, ये सब चीजें मेरे पास न हों। तो मैं नारायण दत्त जी से जानना चाहता हूं कि उनका सोर्स क्या है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, जब परसों मैंने एक दूसरा काम रोको प्रस्ताव आपके सम्मुख प्रस्तुत किया था तो उस समय आपने माननीय राजनारायण जी से पूछा था कि क्या आपने इस संबंध में कोई मुख्य मंत्री जी को सूचना दी। तो जब परसों हमको श्री नागेश्वर प्रसाद साही वकील और गोरखपुर के प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख कार्यकर्त्ता का तार मिला तो उस समय हमारी आपस में राय हुई और आपकी रूलिंग के अनुसार हमने यह तय किया कि तार मुख्य मंत्री के पास भेज दिया जाय ताकि फिर अगर वह हमको कोई उत्तर न दें तो फिर हम उसके लिये कामरोको प्रस्ताव भेज सकें। करीब साढ़े तीन बजे जब कि आप सदन में मौजूद नहीं थे, तार आया। तो हमने उस तार को मय विरोधी दल के उपनेता की चिट्ठी के साथ माननीय मुख्य मंत्री के पास भेज दिया। उसका कोई उत्तर नहीं आया।

एक तो उसकी सूचना हम को देर में मिली। दूसरे उस समय आप भी विराजमान नहीं थे और मुख्य मंत्री का जवाब होने की संभावना थी। इसके अतिरिक्त कोई समय भी नहीं था कि उस समय उस तार के संबंध में कोई विवाद उठा सकें। तो मैं आप से इतना ही कह सकता हूं कि साही जी ने, जिन्होंने तार भेजा है वह कोई ऐसी गलत बात हमारे पास नहीं भेज सकते।

श्री अध्यक्ष—किसने भेजा है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्री नागेश्वर प्रसाद साही, वकील, गोरखपुर।

उन्हींकी सूचना पर यह कामरोको प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इसके आगे, अगर आप इजाजत देंगे तो मैं आगे इसके बारे में निवेदन करूंगा।

श्री अध्यक्ष—माननीय मुख्य मंत्री या कोई और मंत्री इस विषय में प्रकाश डाल सकते हैं कि यह तार उनके पास भेजा गया।

मदद-कर मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—जहां तक मुझको इस सिलसिले में इत्तला मिली है मैं कह सकता हूं कि सरकार को इस बात की किसी भी किस्म की कोई इत्तिला नहीं है सिवा अखबार के।

श्री अध्यक्ष—तार के बारे में आपको पता है ?

श्री गिरधारीलाल—इसकी भी इत्तिला नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैंने खुद तार और पत्र भेजा है, शाम को।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविंद सिंह)—श्रीमन्, मुमकिन है कि माननीय मुख्य मंत्री के पास हो। लेकिन जिन्होंने यह तार भेजा है वह गोरखपुर के एक वकील हैं और यह घटना वहां से २५ मील की दूरी की है। तो गोरखपुर के व्यक्ति को पता नहीं हो सकता है। उनकी भी सूचना "हियरसे" होगी।

श्री अध्यक्ष—चूंकि यहां पर माननीय मुख्य मंत्री मौजूद नहीं हैं और कोई और मंत्री कह नहीं सकते हैं कि उनके पास इस विषय में कोई सूचना भेजी गयी या नहीं भेजी गयी, मैं यही मान कर चलूंगा कि भेजी गयी लेकिन उनकी तरफ से जवाब नहीं आया। मैं अभी इस पर फैसला नहीं दूंगा। मैं इस पर कल फैसला दूंगा कि यह प्रस्ताव लिया जा सकता है या नहीं।

जो दूसरा प्रस्ताव झारखंडेराय जी का है वह उसी विषय पर है। इसलिये उसको लेने की जरूरत नहीं। जो इस पर फैसला होता है वही उस पर भी लागू होगा।

सदन से अनुपस्थित रहने के लिये श्री उल्फत सिंह चौहान का प्रार्थना-पत्र

श्री अध्यक्ष—अब मैं श्री उल्फत सिंह चौहान जी की याचिका आपके सामने रख देता हूं—

'माननीय महोदय,

विनम्र निवेदन यह है कि मैं लगभग ५ वर्ष ६ मास से रुग्णावस्था में चला आ रहा हूं जिसके कारण अब शारीरिक दुर्बलता अति बढ़ गयी है। इस समय मैं एक सुयोग्य वैद्य के द्वारा अपनी चिकित्सा करा रहा हूं। परिणामस्वरूप इस वर्तमान अधिवेशन में मैं उपस्थित होने में असमर्थ हूं।

अस्तु विनम्र प्रार्थना है कि कृपया दिनांक १० फरवरी, ५५ से प्रारम्भ होने वाले राज्य के बजट अधिवेशन के सत्र की उपस्थित से मुझे मुक्त किया जाय।

विनम्र,

ह० उल्फत सिंह चौहान,

सदस्य, विधान सभा।'

तो इस संबंध में यदि सदन की अनुमति हो कि उनकी यह प्रार्थना स्वीकार की जाय कि उनकी अनुपस्थिति के लिये इजाजत दे दी जाय तो मैं समझता हूं कि मैं उनके पास सूचना भेज दूंगा।

किसी को आक्षेप तो नहीं है, नहीं है आक्षेप, मैं समझता हूं प्रार्थना स्वीकार है।

१९५४–५५ के द्वितीय अनुपूरक अनुदान

मादक-कर मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश सरकार का १९५४-५५ वित्तीय वर्ष का द्वितीय अनुपूरक अनुदान उपस्थित करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं आपसे एक जानकारी नियमों के अनुसार करना चाहता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि यह वित्तीय परम्परा के लिये अत्यन्त आवश्यक है। वह यह है कि यह बजट या पूरक बजट जो विधान सभा में या सदन में प्रस्तुत हों तो उसका समय क्या होना चाहिये, क्योंकि यह पूरक बजट की जो कापियां हैं ये पौने ग्यारह बजे मेजों पर रख दी गयी थीं। तो जिस समय बजट प्रस्तुत किया जाता है उस समय यह कापियां बंटनी चाहिये उसके साथ, या पहले बंटनी चाहिये? जरा इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--यहां पर यह परम्परा रही है कि जो पूरक बजट होता है उसके पहले सदन में सदस्यों को दे देते हैं क्योंकि उसमें कोई विशेष करों के संबंध में नीति या अन्य किसी नीति के संबंध में कोई चीज नहीं रहती है जिससे गड़बड़ की संभावना हो। सहूलियत के लिये वह पहले दे दिया जाता है ताकि बीच में कार्य के बीच में कोई रुकावट न हो।

*इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविंद सिंह)--श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधित हुआ है, पर विचार किया जाय।

जब यह विधेयक कौंसिल में गया तो वहां भी एक सेलेक्ट कमेटी बनाने की आवश्यकता हुई और सेलेक्ट कमेटी ने इसमें कुछ संशोधन किये जो करीब-करीब वही थे जिन पर यहां विवाद हो चुका था।

लिहाजा वही संशोधन हुये और वह भवन के सामने प्रस्तुत हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, इस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक पर जो संशोधन विधान परिषद् में किये गये हैं वह करीब-करीब सिद्धांततः वही थे जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक के संबंध में विधान परिषद द्वारा नियुक्त सेलेक्ट कमेटी की सिफारिशों के आधार पर बनाये गये थे। वैसे तो इस संबंध में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी लेकिन फिर मैं २, ४ बातों की तरफ, आपकी आज्ञा से, माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह सही है कि जब धारा ४७ के अनुसार जो आर्बिट्रेशन की सहूलियत अध्यापकों को थी वह विधान परिषद के द्वारा किये गये संशोधन के अनुसार फिर मिल जायगी, लेकिन इस संबंध में चांसलर का जो वर्तमान रवैया रहा है वह जरा कुछ ऐसा है जिससे अध्यापकों में अविश्वास की भावना बढ़ती है। मिसाल के लिये प्रोफेसर डा० ईश्वरी प्रसाद का केस आपने सुना ही होगा कि जिसमें हाईकोर्ट ने अपना फैसला उनके बारे में दिया। मुझे अधिकृत रूप से सूचित किया गया है कि बिना यूनिवर्सिटी की सलाह लिये उस फैसले के संबंध में अपील करने की चेष्टा की गयी है। अपील करने का अधिकार सब को है लेकिन कम से कम यूनिवर्सिटी की राय होना आवश्यक था क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला उसमें हो चुका था और एक ऐसे प्रोफेसर के बारे में हो चुका था जिन्होंने वर्षों तक यूनिवर्सिटी की सेवा की थी। इसलिये इस धारा का ऐसा प्रयोग होना चाहिये जिससे यूनिवर्सिटी के अध्यापकों को यह विश्वास हो कि चांसलर महोदय या सरकार अपने अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर रही है जिससे कि यूनिवर्सिटी की अटानामी का हनन होता हो और प्रोफेसर की सुरक्षा के अधिकारों का हनन होता हो। जिस प्रकार यह सूचना निकली है उससे यह दुर्भावना पैदा हो सकती है और इस केस के मिसहैंडलिंग से यह दुर्भावना उनमें पैदा हो सकती है। मैं चाहता हूं कि ऐसी दुर्भावना किसी अध्यापक में पैदा नहीं होनी चाहिये तो वह शिक्षा के लिये घातक सिद्ध होगी। इसलिये आर्बिट्रेशन का जो क्लाज रखा गया है वह उपयुक्त है और उसको व्यवहार में आना अत्यन्त आवश्यक है।

इसके बाद इसमें इस बात की व्यवस्था की गयी है कि रजिस्टर्ड ग्रेजुएट के जो नुमाइंदे होंगे उनके चुनाव में अध्यापकों का भी हाथ होगा। यह उक्त संशोधन है और अध्यापकों की अनेक मांगों में से एक का यह समर्थन करता है। इसीलिये ही हम इस संशोधन का स्वागत करते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें यह भी निश्चय है कि जब तक एक्जीक्यूटिव कौंसिल के कांस्टीट्यूशन में अध्यापकों का स्पष्ट बहुमत नहीं है, राधाकृष्णन कमीशन की

*विधान परिषद् द्वारा संशोधित विधेयक १० फरवरी, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

सिफारिशों के अनुसार तब तक जो बुनियादी समस्या इंटरनल और ऐक्सटर्नल साइड की है, वह हल नहीं हो सकती। मैं इसलिये माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि यदि वे उचित समझें तो राधाकृष्णन् कमीशन की सिफारिशों के अनुसार ऐसी व्यवस्था करें जिससे एक्जीक्यूटिव कौंसिल में इंटरनल साइड यानी अध्यापकों का बहुमत हो जाय। उनकी इस सिफारिश को कि "स्लाइटली इंक्रीज्ड इन इंटरनल साइड" को पूर्णतया स्वीकार करने की सरकार कृपा करे।

श्रीमन्, मैं यह जानता हूं कि इस विधेयक को तीन बार बदला गया। पहली बार यहां पर उपस्थित किया गया, दूसरी बार इसको यहां की सेलेक्ट कमेटी में बदला गया, फिर कौंसिल की सेलेक्ट कमेटी ने इसको बदला, इसलिये अगर माननीय मंत्री जी इस पर पुनः विचार करें और इसको बदलें तो कोई भी इसके लिये यह नहीं कह सकता कि उन्होंने इस विधेयक के आधार को बदल दिया है, बल्कि यही कहा जायगा कि उन्होंने इसके स्वरूप को कुछ और अधिक सुन्दर ही बना दिया है।

इसके बाद सरकार ने जो अधिकार स्टेट्यूट्स के बारे में लिये हैं, उस संबंध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में जो भी स्टेट्यूट्स बनें उनको सरकार द्वारा सदन के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिये। श्रीमन्, आप देखेंगे कि विधान परिषद् ने खंड ४१ में किस प्रकार से संशोधन किया है उसके द्वारा उन्होंने व्यापक और बेलगाम अधिकार सरकार को दे दिये गये। इस प्रकार की बेलगाम वैधानिक शक्ति अगर सरकार को दे दी जायगी कि सदन को यह पता न चले कि उस शक्ति का उपयोग सरकार ने और मंत्रिमंडल ने किस प्रकार से किया, उस शक्ति के द्वारा औचित्यपूर्ण कार्य किया अथवा अनौचित्यपूर्ण कार्य किया, तो यह पार्लियामेंटरी पद्धति के बुनियादी सिद्धांतों का अपघात होगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि जहां इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टेट्यूट्स का संबंध है उनको सदन की मेज पर रक्खा जाय ताकि सदन उनको एक बार देख सके और विचार कर सके। आगरा यूनिवर्सिटी के स्टेट्यूट्स बने और वह केवल सदन के उन मेम्बरों के पास आये जो कि सेलेक्ट कमेटी के मेम्बर थे और उनसे यह कहा गया कि उनके जो सुझाव हो सकते हैं, वे दें। मैं ऐसा कंसेशन नहीं चाहता हूं कि जिसमें सदन किसी बात पर अच्छी प्रकार से विचार भी न कर सके। मैं चाहता हूं कि केवल सेलेक्ट कमेटी के सदस्य ही नहीं बल्कि सारा सदन उन पर बैठकर विचार करे। क्योंकि यह सब मानते हैं कि इन स्टेट्यूट्स के द्वारा बहुत से सुधार होने वाले हैं। यह बताया गया था कि सेलेक्शन कमेटी का कांस्टीट्यूशन स्टेट्यूट्स के जरिये से निश्चित होगा। लेकिन अभी यह पता नहीं है कि सेलेक्शन कमेटी में कौन होगा, वाइस-चांसलर होगा या चांसलर होगा? इस प्रकार से अगर स्टेट्यूट्स नहीं आयेंगे तो इस प्रकार की जानकारी से, जो कि सदन को होनी चाहिये, उससे यह सदन वंचित रह जायगा। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह अब भी अपनी इस नीति को बदलें और अगर इस सदन पर उनको पूरा विश्वास है जैसा कि मैं समझता हूं उनको है, तो वे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टेट्यूट्स को सदन की मेज पर रक्खें। यदि माननीय मंत्री जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी विधेयक को सफल बनाना चाहते हैं तो वे मूथम कमेटी की सिफारिशों के अनुसार ही उसकी आर्थिक व्यवस्था को बदलने की कृपा करें और वहां लेबोरेटरीज के लिये, एपेरेट्स के लिये, लाइब्रेरी और नये होस्टल्स के लिये अधिक से अधिक ग्रांट देने की कृपा करें। जब तक वहां की आर्थिक दिक्कतें दूर नहीं की जायंगी तब तक मूथम कमेटी के बनाने में जो सरकार का खर्चा हुआ और जो समय लगा, उसका सदुपयोग नहीं हो पायेगा। तो मैं यही निवेदन करता हूं कि मूथम कमेटी की सिफारिशों के अनुसार और यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमेटी की सिफारिशों के अनुसार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को पूरी सहायता दी जाय ताकि वह आर्थिक दिक्कतों को दूर करके अबाध गति से उच्च शिक्षा की अधिक से से अधिक सेवा कर सके।

श्री अध्यक्ष--मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि कार्यक्रम में संशोधन जितने दिये हैं वे सब अंग्रेजी में दिये हैं और इस सदन की भाषा हिन्दी है। न केवल संशोधन का रूप ही अंग्रेजी में है बल्कि जो परिषद् ने प्रस्ताव वहां पास किया वह भी अंग्रेजी में है। जैसे:--

In the definition of "Associated College" in section of 2 of the Act, in clause 2 of the Bill, the word "provide" Should be substituted for the word "impart."

यानी लैंग्वेज अंग्रेजी की दी गई है। इसके बदले में एसोसिएटेड कालेज की व्याख्या में "खंड २" के इत्यादि वाक्य--होता तो कोई आपत्ति की बात नहीं थी लेकिन यह अंग्रेजी में ही कहा गया है। इस सदन की भाषा सब विधेयकों के लिये हिन्दी ही है। जो विधेयक इस सदन से गया था वह हिन्दी में था और परिषद् द्वारा संशोधन में भाषा बदल देना इस तरह की बात वहां कैसे होती है, मैं जानना चाहता हूं।

श्री हरगोविंद सिंह--वहां भी हुआ था हिन्दी में ही लेकिन चूंकि प्रिंसिपल ऐक्ट पूरा अंग्रेजी में है, इस वजह से ऐसा है। वैसे भाषा तो ऐसी होनी चाहिये जैसा कि आप आज्ञा दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह हिन्दी में हो जाने के बाद ही इसके ऊपर विचार होगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि सदन में जो प्रस्ताव पास हो चुका है उसके ऊपर सख्ती से अमल होना चाहिये।

श्री हरगोविंद सिंह--लेकिन जो संशोधन विधेयक मूव किया गया है वह हिन्दी में ही किया गया है। मैंने भी आज हिन्दी में ही मूव किया है।

श्री अध्यक्ष--लेकिन उसके ऊपर मैं वोट कैसे लूंगा कि यह सदन इसे स्वीकार करता है या नहीं स्वीकार करता है। सदन जब कोई संशोधन स्वीकार करेगा, वह हिन्दी में ही स्वीकार करेगा।

श्री हरगोविंद सिंह--जो मैंने मूव किया है वह भी तो हिन्दी में ही मूव किया है।

श्री अध्यक्ष--यह तो ठीक है लेकिन जितने संशोधन आये हैं जिनके ऊपर मैं राय लूंगा वे भी हिन्दी में ही होने चाहिये। इस तरह से वे अंग्रेजी में नहीं रखे जा सकते हैं।

श्री हरगोविंद सिंह--ऐसा होना चाहिये कि एसोसिएटेड कालेज की परिभाषा में...

श्री अध्यक्ष--ऐसा होना चाहिये, तो मैं समझता हूं कि उसको इस वक्त आप स्थगित करें और इसको हिन्दी में करा कर कल पेश करें या दूसरे रोज पेश करें इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। मेरी नजर में यह बात पहले आयी नहीं थी। अभी मैंने देखा तो मालूम हुआ कि सब संशोधन अंग्रेजी में ही हैं। मैंने अपने दफ्तर से पूछा तो उन्होंने कहा कि विधान परिषद् के दफ्तर से अंग्रेजी में ही संशोधन आये हैं। वह हिन्दी में ही आना चाहिये।

श्री हरगोविंद सिंह--लेकिन विधान परिषद् की भाषा तो केवल हिन्दी नहीं है, वहां अंग्रेजी में भी पास हो सकता है।

श्री अध्यक्ष--लेकिन यहां तो हिन्दी में आना चाहिये।

श्री हरगोविंद सिंह--विधान परिषद् में अंग्रेजी में कार्य होता है तो जिस भाषा में उन्होंने अपने यहां पास किया है उसी भाषा में तो भेजेंगे?

श्री अध्यक्ष--तो उसको हम हिन्दी में कनवर्ट कर लेंगे। जिस वक्त हिन्दी में यह हो जायगा उसी वक्त इन पर विचार किया जायेगा और कोई रास्ता नहीं है।

श्री हरगोविन्द सिंह--लेकिन श्रीमन्, विधान परिषद् ने जो संशोधन जिस भाषा में पास किया है उसी भाषा में तो उसको भेजेंगे? वे तो भाषा को नहीं बदल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--हमारे दफ्तर को चाहिये कि उसका हिन्दी में अनुवाद करके तब सदन के सामने इसको लावें क्योंकि जब हिन्दी के लिये इस सदन का निश्चय हो गया है तो उससे हम बाध्य हैं। इसलिये हिन्दी में ही यहां संशोधन आ सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--अध्यक्ष महोदय, हम लोग आपके अनुगृहीत और आभारी हैं कि आपने इस प्रकार का आदेश सदन की जो भाषा सम्बन्धी परम्परा है उसको निभाने का दिया कि आज इस प्रकार इस पर विचार न होगा। हम आपके इस आदेश से पूर्णतया सहमत हैं और हमारी भी यही राय है कि इस समय इसको स्थगित कर दिया जाय और हिन्दी में इसका अनुवाद हो जाय तब लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--मेरा पूर्ण और स्पष्ट निश्चय है कि हमारे यहां से कोई भी विधेयक जब पास होकर परिषद् में जाता है तो उसको या तो परिषद् हिन्दी में ही पारित करे, क्योंकि कहा जाता है कि उनको तो हिन्दी या अंग्रेजी दोनों ही में पारित करने का अधिकार है, उनको कोई बाधा नहीं है। हम तो बाध्य हैं और हमने हिन्दी में इसको परिषद् में भेजा, तो भाषा विधेयक की हिन्दी हो गई और इसलिये उनको हिन्दी ही में अपने संशोधन यहां भेजने चाहिये थे। लेकिन उनको चूंकि अंग्रेजी का भी अधिकार है लेकिन हम बाध्य हैं कि हिन्दी में कार्यवाही करें इस कारण इनको फिर भी हिन्दी में ही लाना चाहिये। वह स्वतंत्र होते हुए भी अंग्रेजी में कर देते हैं यद्यपि उनको हिन्दी में ही करना चाहिये था। हम तो स्वतन्त्र नहीं हैं और सदन का आदेश है कि हिन्दी में ही होना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस पर जनरल बहस कर लें लेकिन खंडों पर बहस की मैं अभी राय नहीं दूंगा जब तक हिन्दी में अनुवाद होकर न आ जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--पहले अभी सामान्य वादविवाद हो जाय।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा कि यह जो अनुवाद होगा वह मूल माना जायगा या जो अंग्रेजी में परिषद् ने भेजा है?

श्री अध्यक्ष--हमारे सदन लिये जो अनुवाद होगा वही हमारे लिये मूल समझा जायगा उसके बाद अदालतों के लिये जो उसका अंग्रेजी का अनुवाद होता है वही सही हो जाता है इसके लिये संविधान में धारा मौजूद है कि अंग्रेजी में जो अनुवाद होता है उसी को बड़ी अदालतें सही मानती हैं लेकिन इस सदन से जो बिल पारित होगा वह हिन्दी ही में होगा।

श्री जोरावर वर्मा--(जिला हमीरपुर) आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो बिल यहां से पास हुआ था और कौंसिल ने जिसको वापस कर दिया है उसके लिये हम कौंसिल के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इस बिल में थोड़ा बहुत संशोधन किया। हम मंत्री जी के लिये भी धन्यवाद देते हैं कि क्योंकि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाय तो वह भूला नहीं कहाता। जो संशोधन कौंसिल में पास होकर आये हैं वही यहां हमने और श्री तेजप्रताप सिंह जी ने रखे थे और उन्होंने तो इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव रखा था ताकि इस तरह की तमाम बातें ठीक हो जायं, लेकिन उस वक्त हमारी बात नहीं मानी गई। जिस रूप में यह अब हमारे सामने आया है उसको पहले से कुछ अच्छा तो कहा जा सकता है। जो बिल यहां से पास हुआ था उसमें शिक्षा मंत्री जी ने हठ करके टीचर्स के खिलाफ डिसिप्लिनरी ऐक्शन की बात रखी

थी और आर्बिट्रेशन की धारा ४७ के अनुसार जो आर्बिट्रेशन में ले जाने का अधिकार था उसको छीन लिया था लेकिन वहां जाकर माननीय मंत्री जी ने अनुभव किया कि सचमुच हम जो कत्लेआम करने जा रहे हैं अध्यापकों का, तो कम से कम उनको थोड़ा अधिकार सांस लेने का दे दें और जो कुछ भी पोलिटिकल मेजर्स कमेटी उनके ऊपर ऐक्शन ले तो उनको आर्बिट्रेशन में जाने का अधिकार हो। इसलिये मैं उनको पहले ही धन्यवाद दे चुका हूं कि कम से कम उन्होंने अब यूनिवर्सिटी के अध्यापकगण को सांस लेने का अवसर दिया। दूसरी बात यह है कि जो एक्जीक्यूटिव कौंसिल में कोर्ट के द्वारा पांच आदमियों का सेलेक्शन होना था उसमें भी हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अध्यापकगण को उस अधिकार से वंचित कर दिया था कि कोर्ट में जो ५ रिप्रेजेंटेटिव्ज होंगे उसमें भी अध्यापकगण वोट नहीं करेंगे, तो उन्होंने अब जाकर महसूस किया कि इस प्रजातन्त्रीय देश में जब हम वोट देने का अधिकार दिये हुए हैं तो अध्यापकगण ने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है जिसके कारण इस अधिकार से उनको वंचित कर दें। इसी प्रकार से और कई छोटे मोटे संशोधन हैं जिनको हमारे मंत्री जी ने माना है। अच्छी बात तो यही होती कि इसमें जो पोलिटिकल मेजर्स कमेटी रखा गया है वह खत्म कर दिया जाय। हमारे यूनिवर्सिटी के जो अध्यापक हैं जिनको हम शिक्षित मानते हैं और हम जानते हैं कि हमारे कांस्टीटयूशन के अनुसार वे विद्यार्थियों को शिक्षा देंगे और कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिसके कारण पोलिटिकल मेजर्स स्थापित करने की आवश्यकता पड़ जाय। लेकिन जितना किया गया है वह काफी नहीं है। हमने लखनऊ यूनिवर्सिटी विधेयक में यह देखा कि विजिट करने का अधिकार है तो उसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री ने लखनऊ यूनिवर्सिटी में कम से कम इस बात को मान लिया है कि अगर विजिट करेंगे तो उसकी रिपोर्ट कम्पलसरीली वाइस-चांसलर को देंगे। लेकिन इस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पता नहीं है कि क्यों इस बात का अधिकार उनको नहीं दिया गया है? इस तरह से मैं समझता हूं कि यह संशोधन जो स्वीकार किये गये हैं वह माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा पश्चाताप के रूप में है और हम आशा करते हैं कि निकट भविष्य में माननीय शिक्षा मंत्री जी इसको अधिकाधिक रियलाइज करेंगे कि हमने जो इस बिल को लाकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अधिकारों का अपहरण किया है वह कांस्टीटयूशन में दिये हुए अधिकारों का बहुत बड़ा परिहास है। इन शब्दों के साथ में इसमें, जो संशोधन रखे गये हैं, इनका समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को स्मरण दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश लैंगुयेज बिल्स ऐंड ऐक्ट्स बिल, १९५० का जो उसी साल मंजूर हुआ है उसकी धारा में यह है कि—

"The language for use in Bills introduced in or Acts passed by the Legislature of the Stae of Uttar Pradesh shall be Hindi in Devnagri script."

और इसकी घोषणा १० फरवरी, १९५० को हुई और उस घोषणा में उत्तर प्रदेश लैंगुएज बिल्स ऐंड ऐक्ट्स बिल जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ७ फरवरी, सन् १९५० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ८ फरवरी, १९५० की बैठक में स्वीकार किया था, महामान्य राज्यपाल ने अपनी स्वीकृति १० फरवरी, १९५० को दे दी है। परिषद् ने भी उसको पास किया और अगर ऐक्ट हो गया तब तो दोनों ही सदन हिन्दी में विधेयक पारित करने के लिये बाध्य हैं। तो मेरा कहना शिक्षा मंत्री जी से यह है कि जब परिषद् में यह प्रश्न आवे तो यह पुराना ऐक्ट होने की वजह से परिषद् में हिन्दी के लिये जोर दिया जाय और चेयरमैन का एटेंशन इस तरफ ड्रा किया जाय। वहां नियम के विरुद्ध अगर यह बात हो तब भी नियम के विरुद्ध भी अधिनियम को अमल में लाना ही पड़ता है, यह तो माननीय शिक्षा मंत्री जी जानते ही हैं।

श्री हरगोविंद सिंह ---श्रीमन्, मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि वहां भी यह हिन्दी में भी हुआ और अंग्रेजी में भी हुआ था। अंग्रेजी में उन्होंने भिजवा दिया और हिन्दी का नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष---तो उसको आप मंगवा लें।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जनरल डिस्कशन तो आज चलेगा ही। मेरा मंशा यह था कि जब यह पोस्टपोन कर दिया गया था तो जनरल डिस्कशन भी पोस्टपोन हो गया होता।

श्री अध्यक्ष---बीच में यह बात निकल पड़ी। इसलिये केवल संशोधनों पर मत लेना पोस्टपोन कर दिया और विचार के आम प्रस्ताव को जारी रक्खा ताकि समय बच सके। सदन ने भी इसमें कोई आक्षेप नहीं किया। इसलिये वह जारी रहेगा। लेकिन आगे के लिये यह कोई उदाहरण नहीं रहेगा। आयंदा आम विचार भी नहीं किया जायगा यदि संशोधन अंग्रेजी में उपस्थित किये जावेंगे।

श्री तेजप्रताप सिंह---यह संशोधन विधेयक फिर से कौंसिल द्वारा पारित होकर हमारे सामने आया है। दो तीन बातें मैं इसमें माननीय मंत्री जी के समक्ष रख देना चाहता हूं। जब जब यह विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत हुआ था तो हम लोगों ने प्रार्थना की थी कि इस पर फिर से विचार कर लिया जाय।

श्री हरगोविंद सिंह---प्वाइंट आफ आर्डर। श्रीमन्, आपने अभी जो ऐक्ट पढ़ कर सुनाया, मुझे निवेदन करना है कि १५ वर्ष के लिये कांस्टीटयूशन में यह प्रोवाइडेड है कि ऐक्ट के होते हुए भी अंग्रेजी में हो सकता है, कांस्टीटयूशन की धारा २१० के बमूजिब, जो इस प्रकार है :---

"Notwithstanding anything in Part XVII, but subject to the provisions of article 348, business in the Legislature of a State shall be transacted in the official language or languages of the State or in Hindi or in English.

श्री रामनारायण त्रिपाठी---इस सम्बन्ध में मुझे यह निवदन करना है कि एक धारा जो मुझे याद नहीं है उसके अनुसार विधान मंडल इस किस्म का प्रस्ताव स्वीकार कर चुका है कि किसी खास भाषा में कार्यवाही होगी उसके लिये यह धारा लागू नहीं होगी। कांस्टीटयुशन देख कर उस धारा को बता सकता हूं कि विधान मंडल ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि यहां हिन्दी में कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष---इस सदन के बारे में तो मैं निश्चय दे ही चुका हूं। मैं इस बारे में तो परमीशन देता ही नहीं कि कार्यवाही अंग्रेजी में हो। यहां पर जब हिन्दी विधेयकों की भाषा है तो जितने बिल पास हों उनका तर्जुमा अंग्रेजी में हो जायगा।

श्री हरगोविन्द सिंह---अंग्रेजी के लिये भी तो परमीशन है।

श्री अध्यक्ष---परमीशन सिर्फ बोलने वालों के लिये ही है लेकिन यह नहीं हो सकता कि एक अधिनियम विधान मंडल बना दे कि हम हिन्दी विधेयक की भाषा रखेंगे और फिर बिल अंग्रेजी में भी लावे। गवर्नमेंट यदि अपनी यह नीति निर्धारित कर दे कि वे कभी हिन्दी में विधेयक पास किया करेंगे और कभी अंग्रेजी में पास किया करेंगे, और यह सदन इस नीति को मान्य कर दे तो मुझे कोई आपत्ति न होगी और मैं सदन की अनुमति ले लूंगा। लेकिन यह नहीं हो सकता कि सदन ने हिन्दी को अपनी आफिशियल लैंगुएज डिक्लेयर कर दिया हो और बिल्स अंग्रेजी में लाये जायं। उनका कहना ठीक है इस बात में कि संविधान इस बात में धारा २१० में परमीशन देता है कि अंग्रेजी में भी विधेयक हो सकता है। लेकिन हो सकता है यह तो परमिसिव है, होना ही चाहिये यह बात नहीं है। तो सदन को अधिकार इस बात का

है कि वह चूज कर ले कि कौन सी भाषा हो ? उसने धारा ३४८ के अन्तर्गत यह निश्चय कर लिया कि हम हिन्दी ही सदन की भाषा रखेंगे हम उसी को चलायेंगे। सदन को चूज करने का पूर्ण अधिकार है और उसने पहले ही चूज कर लिया कि हिन्दी में ही विधेयक होंगे। तो कोई दूसरी शक्ति बाहर से अंग्रेजी में संशोधनों को विधेयकों में थोप दे और इस सदन को लाजिमी हो कि हम उसे स्वीकार कर लें, ऐसा नहीं है। यह बात नहीं है, मनचाहा तब अंग्रेजी में आप बिल पेश कर दें और कभी हिन्दी में पेश कर दें, ऐसी बात नहीं चलेगी। यह उक्त संविधान की धाराओं का मतलब नहीं है। तो इसलिये यहां तो हिन्दी ही चलेगी। मैंने परिषद् के बारे में कहा था कि आप वहां के चेयरमैन का अटेन्शन ड्रा कर दें कि यह बिल हिन्दी में पास हो चुका है फिर वह अपना निर्णय स्वयं जो चाहे करें।

श्री तेजप्रताप सिंह—तो मैं कह रहा था कि जब यह एसेम्बली में संशोधन विधेयक प्रस्तुत था तब हम लोगों ने प्रार्थना की थी, माननीय मंत्री जी से कि इस पर अच्छी तरह से विचार होना चाहिये और जो इसमें गल्तियां रह गई हैं उनको दुरुस्त होना चाहिये। लेकिन कुछ हम लोगों की खराबियां, कुछ गल्तियां या कुछ अप्रोच या मेथड में कुछ ऐसी बातें रहीं, रहीं होंगी जरूर कि जिनसे माननीय मंत्री जी ने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया बल्कि कुछ ऐसी बातें भी कहीं जिनसे हम लोगों को क्षोभ हुआ और इसी कारण उन्होंने तरमीम नहीं की। लेकिन मुझे संतोष है कि किसी के कहने से, किसी भी प्रकार से या किसी असर से इसमें कई संशोधन किये गये हैं जो बहुत माननीय है और उनका स्वागत होना चाहिये। कौंसिल में भी वह सेलेक्ट कमेटी को दिया गया और वहां से भी जो बातें इसमें संशोधन की गई हैं उनसे हम यह जरूर कह सकते हैं कि वह पूरे तौर से इस मसले को हल करने वाली नहीं है और इसीलिये मैं पहले यह जरूरी कह देना चाहता हूं कि अब भी समय है कि माननीय मंत्री जी उन बातों पर ध्यान दें और विशेष रूप से इस बिल के पारित होते समय जिन बातों का जिक्र हो उन्हीं पर ध्यान देकर वह आगे भी ऐसा समय ला सकते हैं कि इसमें कोई संशोधन, जो आवश्यक हो, वह कर सकें। क्योंकि इस बिल का सम्बन्ध हमारे अध्यापकों से है और स्टूडेंट्स से भी है और उसमें किस अप्रोच से, किस ढंग से हम उनके साथ व्यवहार करें, यह एक आधारभूत प्रश्न इसमें सम्बद्ध है और इसीलिये मैं जोर देना चाहता हूं कि इसमें काफी गौर के बाद ही कोई तरमीम की जानी चाहिये। जो कौंसिल में मुख्य-मुख्य तरमीमें की गई हैं, मैं करीब-करीब उन सब से सहमत हूं और जैसा कि अभी कहा गया कि यहां पर लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक के पारित होते समय हम उन चीजों को पहले ही मान चुके हैं। हम लोगों ने विशेष रूप से इस पर जोर दिया था कि वाइस चांसलर की पावर्स में हमें कुछ कमी करनी चाहिये, और खासतौर से टीचर्स के डिसिप्लिन मेन्टेन करने के लिये। लेकिन उस पर कोई गौर नहीं किया गया। जो डिसिप्लिनरी ऐक्शन कमेटी बनेगी जो वाइस-चांसलर नियुक्त करेगा उसमें वह उसको डिसमिस भी कर सकता है या और पनिशमेंट देना चाहे, दे सकता है। तब भी मैं ने यह प्रार्थना की थी कि टीचर्स के डिसिप्लिन को मेन्टेन करने के लिये टीचर्स पर ही यह बात छोड़नी चाहिये, अध्यापक ही अपने डिसिप्लिन को मेन्टेन कर सकते हैं हम बाहर से ऐक्शन कमेटी को एपाइंट करके उनमें डिसिप्लिन नहीं ला सकते हैं। उसकी एक प्रतिक्रिया होगी और साथ-साथ ऐसी भी भावना हो सकती है कि हमारे ऊपर ज्यादती हो रही है। टीचर्स स्वयं समझदार हैं। आपस में क्या उन्हें करना चाहिये, क्या उनके कर्तव्य हैं, यह वे समझते हैं अच्छी तरह से और यदि कहीं या पार्टी पलिटिक्स यूनिवर्सिटीज में घुसती हैं, जैसी कि घुसी हुई हैं, तो यह चीज पैदा हो जायगी कि कुछ टीचर्स जो किसी और विचारधारा के हों उनको निकाला जा सकता है ऐसे चान्सेज हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि निकाले ही जायंगे या डिसिप्लिनरी

[श्री तेजप्रताप सिंह]

ऐक्शन होगा ही। लेकिन चान्सेज हैं कि अगर पार्टीबन्दी के लिहाज से उनके ऊपर कुछ चार्जेज आ जाते हैं तो उनको पैनेलाइज किया जा सकता है। तो इससे उस बड़ी संस्था में एक बहुत बड़ी खराबी पैदा हो सकती थी और काम ठीक चल नहीं सकता, वह स्वतन्त्र वातावरण जिसमें वह शिक्षा चलाई जानी चाहिये, वह नहीं चल सकेगी। तो इसलिये मैं फिर उस पर जोर देना चाहता हूं कि जो डिसिप्लिनरी ऐक्शन की धारायें रखी गई हैं उनको हटाना चाहिये था। लेकिन संतोष थोड़ा बहुत भी जो कुछ है वह इससे जरूर हो जाता है कि उन्हें आर्बिट्रेशन कराने के लिये धारा ४७ में जो प्रावीजन रखा गया है वह मेन्टेन किया गया है कि वह आर्बिट्रेशन के लिये एप्लाई कर सकते हैं तो यह संतोष की बात है। लेकिन उस ओवर ऑल पिक्चर के देखते हुए...

श्री हरगोविंद सिंह—श्रीमन्, मैं एक वैधानिक आपत्ति उठाना चाहता हूं। यह विधेयक असेम्बली से पास हो चुका था उसके बाद विधान परिषद् ने उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किये उन्हीं को मैंने यहां मूव किया। तो फिर क्या समूचे बिल पर यहां बहस हो सकती है?

श्री अध्यक्ष—जी नहीं। मेरी उस तरफ एटेन्शन नहीं थी।

श्री तेजप्रताप सिंह—मैं उसी पर बोल रहा हूं। जैसी धारा ४७ है—

"An order passed by the Chancellor under this sub-section shall not be subject to arbitration under section 47."

यह डिलीट कर दी जायगी, तो वह धारा आ जाती है तो उस पर प्रकाश में डाल सकता हूं, ऐसा मैं समझता हूं क्योंकि उससे सम्बद्ध है। डिसिप्लिनरी ऐक्शन कमेटी के बाद आर्बिट्रेशन नहीं कर सकेंगे ऐसी व्यवस्था थी। लेकिन उसके बाद ऐसा संशोधन का उन्सिल में हुआ कि नहीं, आर्बिट्रेशन की पावर टीचर्स को देनी चाहिये। तो मैं उस सम्बन्ध में कह सकता हूं, ऐसा मैं समझता हूं। तो आंशिक संतोष तो जरूर है इससे क्योंकि इसमें यह रखा गया है कि आर्बिट्रेशन की पावर तो रखनी ही चाहिये। लेकिन वह डिसिप्लिनरी ऐक्शन वाली जो व्यवस्था रखी थी उसके बारे में कोई गौर नहीं किया गया और फिर भी यह बात रह ही जाती है कि टीचर्स के लिये एक भय की बात रह जाती है कि वे अपना डिसिप्लिन खुद मेन्टेन करें और अपने ही आप जांच-पड़ताल करें, वह नहीं कर सकेंगे। उसके लिये बाहर से एक कमेटी की व्यवस्था हमने कर दी। तो इस पर भी मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। दूसरे कोर्ट के बारे में था कि जो कोर्ट रिप्रजेंटेटिव चुनेगा अपनी ऐक्जीक्यूटिव कमेटी के लिये उसमें जो टीचर्स या ऐमप्लाइज होंगे युनिवर्सिटी के वे लोग वोटिंग के वक्त भाग नहीं लें सकेंगे। लेकिन जो संशोधन अब किया गया है वह अच्छा किया गया। उस वक्त हमने जोर दिया था लेकिन उस वक्त माननीय शिक्षा मंत्री हमारे असंतुष्ट होंगे जिसके कारण उस पर उन्होंने उस वक्त गौर नहीं किया था। यद्यपि यहीं पर हम लोगों के संशोधन को मान कर समय बचा सकते थे, लेकिन उस समय उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हो सकता है उस समय हमारी कुछ भूलें रही हों। लेकिन कौंसिल में जा कर उन्होंने माना। सम्भव है कौंसिल में जाकर बेटर कौंसिल मिला हो। बहरहाल एक अच्छी चीज हुई। उसका हम स्वागत करते हैं।

दूसरे कमेटी आफ रेफरेंस के बारे में भी हम लोगों ने जोर दिया था कि कमेटी में स्टेट गवर्नमेंट के नामिनीज नहीं होने चाहिये और दूसरी चीज यह थी कि उसमें केवल नयी मदों पर ही विचार होना चाहिये। एक सैद्धान्तिक बात थी कि रेफरेंस उसी का ही होना चाहिए उस कमेटी में जो कि नयी मदें हों लेकिन इसमें इनकम को देखते हुए उन पर, उन मदों पर नियंत्रण किया जा सकता है, यह भी कमेटी आफ

रेफरेंस को अधिकार हो गया। तो इस तरफ भी हमने तवज्जह दिलायी थी कि यह चीजें नहीं बढ़ानी चाहिए। वह तो एग्जीक्यूटिव कौंसिल में बजट बनेगा और वह पुरानी ही मदों को रखती है तो उसमें इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिये। लेकिन अगर नयी मदों को रखे तो वह आप कमेटी आफ रेफरेंस में पेश कर दें। लेकिन उसमें भी अभी स्टेट गवर्नमेंट के नामिनीज पूर्ववत रखे गये हैं। स्टेट इंटरफियरेंस यहां भी रखा गया है। स्टेट कुछ रुपया दे दे तो उसमें फिर जब बजट बन रहा हो और उसमें कोई खास-तौर से नयी मद भी हो तो उसमें खास तौर से स्टेट गवर्नमेंट के नामिनीज की क्या जरूरत है? एग्जीक्यूटिव कौंसिल में तो चांसलर के नामिनीज होंगे ही और वही बजट बनायेगी। तो फिर इसमें भी स्टेट गवर्नमेंट के नामिनीज को रखने की क्या जरूरत है। एग्जीक्यूटिव कौंसिल में उसकी यथेष्ट व्यवस्था रखी ही गई है। तो कमेटी आफ रेफरेंस के फंक्शंस वग़ैरह में भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है जिससे कि हमें पूर्ण सन्तोष होता। दो एक बातें और जो इसमें लानी चाहिए थीं, वह नहीं लायी गईं। कुछ ऐसी वेग रखी गयी हैं जैसे कि स्टूडेंट्स के अनसेटिस्फैक्ट्री होने पर उन्हें निकाल देना और टीचर्स का एक रेकर्ड मेंटेन किया जाना, वह भी बड़ा वेग है। तो यह अनिश्चित अवस्था रखने से क्या इसका प्रभाव पड़ेगा और क्या प्रभाव पड़ेगा हमारी सरकार का, वह कहां तक उचित होगा, उस पर भी गौर करना चाहिये था। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इन पर ध्यान दें और उसमें जो उचित तरमीम जब भी वह करना उचित समझें करने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ मैं फिर से इन संशोधनों के बारे में जो मेरा विचार है जो कुछ संतोष इन से प्राप्त हुआ है वह प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे सुझावों पर ध्यान देंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधित इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—अब संशोधनों के लिये बाद में इसे लिया जायगा। अब मैं दूसरा कार्यक्रम आगे का लेता हूं।

हस्तिनापुर नगर विकास मंडल विधेयक, १९५४

कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हस्तिनापुर नगर विकास मंडल विधेयक, १९५४ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधित हुआ है, पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित होने के उपरान्त, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधित हस्तिनापुर नगर विकास मंडल विधेयक, १९५४ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक शाब्दिक संशोधन रखना चाहता हूं। क्योंकि शनिवार को यह कार्यक्रम बतलाया गया था और आपके इस निर्णय के मुताबिक जल्दी से जल्दी कार्यक्रम हो रहा है, तो हम लोगों के संशोधन तैयार नहीं होंगे। एक छोटा सा संशोधन आपको भेज देता हूं और उसके ऊपर चन्द मिनट बहस हो जाय।

श्री अध्यक्ष—आपका संशोधन क्या है?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैं आप की आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं—

"खंड १३ के उपखंड (घ) में कौंसिल द्वारा प्रस्तुत संशोधन की पंक्ति २ में 'तथा किसी अन्य व्यक्ति' शब्द निकाल दिये जायं।"

अध्यक्ष महोदय, मूल अधिनियम की धारा १३ का उपखंड (घ) इस प्रकार है—

"नियत किये जाने वाले प्रतिबन्ध और शर्तों पर विस्थापित व्यक्तियों को मंडल के अधिकार की कोई भी इमारत अथवा स्थल बेच सकता है, पट्टे पर उठा सकता है अथवा किराये पर दे सकता है"—तो इसमें विस्थापितों के अलावा "तथा किसी अन्य व्यक्ति" को भी अधिकार सरकार देना चाहती है। पहले जब यह कानून पास हुआ था उस समय इस बात पर सदन तैयार हुआ कि चूंकि आज तक शरणार्थियों की स्थिति ठीक नहीं हुई है। एक जगह बस जाते हैं और कभी-कभी कारोबार के सिलसिले में दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन अन्य किसी व्यक्ति को, अलावा शरणार्थियों के, यह अधिकार क्यों दिया जा रहा है। यदि इस पर माननीय मंत्री जी प्रकाश डालें तो हम समझें कि हम इस पर विचार कर सकते हैं या नहीं। लेकिन यह स्थिति अस्पष्ट है। शरणार्थियों के हक में तो हम ऐसा करने के लिये तैयार हैं, क्योंकि काफी प्रयत्नों के बावजूद भी उनको एक स्थान से दूसरी जगह जाना है, एक पेशे के बाद दूसरा पेशा अख्तियार करना, सम्भव हो सकता है और आवश्यक भी हो सकता है, लेकिन हरएक आदमी को अपने मकान बेचने की इतनी जल्दी आवश्यकता क्या पड़ गयी कि जिसकी सरकार के ध्यान में पहले आवश्यकता नहीं थी, इस पर माननीय मंत्री जी प्रकाश डालें तो फिर हम इस संशोधन पर विचार करेंगे। सिर्फ यह जानकारी के लिये संशोधन उपस्थित किया गया है।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय त्रिपाठी जी ने जो संशोधन रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। जिस समय यह बिल पास हुआ था यहां से, उस समय इस पर काफी बहस हो चुकी थी कि वहां की सम्पत्ति इमारत या वहां का स्थल एक विस्थापितों के अलावा किसी को न बेचा जाय। लेकिन यह अधिकार या यह धारा हटा दी जाती है, या सबके लिये वहां छुट्टी दे दी जाय जैसा कि पास हो चुका है, तो मैं समझता हूं कि इस धारा का बड़ा दुरुपयोग होगा। विस्थापितों के नाम से गवर्नमेंट कितना व्यय कर रही है और उनको कितनी सुविधा देने के लिये अनेकानेक उपाय कर रही है, लेकिन जैसा कि सदन में कई बार कहा गया कि हरिजन डेवलपमेंट या हरिजनों की उन्नति के नाम से न जाने कितने इंटरेस्टेड परसंस अपना मकसद पूरा करते हैं और हरिजनों का एक्सप्लायटेशन करते हैं, इसलिये मैं समझता हूं कि यह विस्थापितों के अलावा जो यह दूसरे लोगों को अधिकार दिया जा रहा है, मैं निश्चय रूप से कहता हूं कि इससे विस्थापितों का एक्सप्लायटेशन होगा, उनका शोषण होगा और जिस उद्देश्य से सरकार ने वहां रुपया लगाया, वास्तव में उसका लाभ विस्थापितों को न हो करके, जिन लोगों की सरकार में पहुंच है या जो सरकार की स्कीम हैं उनका उद्देश्य न सफल करके अपना मतलब पूरा करेंगे। इससे मैं समझता हूं कि विस्थापितों की जो स्कीम है, उनको लाभ पहुंचाने का जो वातावरण पैदा किया जा रहा है वह पूरा नहीं होगा और जो विस्थापित उस संम्पत्ति, इमारत या स्थल को लेना चाहेंगे, नहीं ले सकेंगे, क्योंकि विस्थापित लोगों के पास कोई जायदाद या सम्पत्ति नहीं है, धन नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, खाने-पीने के लिये साधन नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अगर मंडल या मंडल का अधिकारी उस जमीन की कीमत अधिक आंके या वहां पर कम्पेटीशन हो जाय तो यह निश्चय है कि विस्थापित लोग कम्पेटीशन में कभी भी, किसी हालत में उस इमारत या स्थल को नहीं ले सकते। इसलिये यह निश्चय है कि इस तरह से इस संशोधन के द्वारा वह विस्थापितों के बहाने जो लोग पहुंच रखते हैं या जो साधन सम्पन्न हैं वह अपना मक़सद पूरा कर सकेंगे। लेकिन जो विस्थापित हैं, जिनके लिये कद्रीय सरकार और

प्रांतीय सरकार ने इतना किया है, यह सत्य है कि उनको इससे कोई लाभ नहीं होगा और जो इंटरेस्टेड परसन्स हैं उनको मकसद पूरा करने में सहूलियत हो जायगी और विस्थापितों का शोषण होगा। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर पुनः विचार करने की कृपा करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम उनको असुविधा देना चाहते हैं जिससे उनके रहने के लिये मकान के मिलने में जो सहूलियत हो उसको दूर करना चाहते हैं।

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन इस सदन के सामने है यह बहुत ही सीधा साधा सा और बहुत छोटा है। सिर्फ इसलिये यह संशोधन लाया गया है कि कभी ऐसा इत्तिफाक हो सकता है कि इसकी जरूरत पड़ जाय कि डिसप्लेस्ड परसंस के अलावा किसी और को देना पड़े तो प्रतिबन्ध न हो। वैसे यह है कि इसमें प्रतिबन्ध होंगे, शर्तें होंगी, उसके जरिये से दी जायगी। इन सब चीजों में यह होना चाहिये कि लोगों को भरोसा और एतबार होना चाहिये। अगर जरा जरा सी बातों पर इस नियत से चला जाय कि हर काम बिगाड़ा जायगा, जो डिसप्लेस्ड परसंस हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होगी और मंडल के लोग उनके खिलाफ करना चाहेंगे, और दूसरों को दिये जायेंगे तो इस तरह से काम नहीं चला करता है। जब कोई चीज बनती है तो उसका कोई मक़सद होता है। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि यह जो संशोधन जैसा कि मैंने रखा है उसी हालत में रहना चाहिये और इसमें जो अल्फाज निकालने के लिये कहा गया है उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसलिये मैं इसकी मुखालफत करता हूं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फ़ैजाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राम नारायण त्रिपाठी जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं माननीय उपमंत्री जी के भाषण के उपरांत इस निश्चय पर पहुंचा कि आज मुझे सरकार को इस बात की दुबारा याद दिलानी होगी कि जब यह विधेयक लाया गया था तो स्पष्ट था कि केवल उसके कांस्टीट्यूशन का एक नया रूप धारण करने जा रहा था जिससे कि डिसप्लेस्ड परसंस को अत्यधिक सुविधा प्राप्त हो सके। अगर दूसरे लोगों को भी बेचा जा सकता है तो सम्भवतः और काफी आशा है कि इन अधिकारों का दुरुपयोग हो सकता है। अतः यह उस स्पिरिट के खिलाफ है जिस मंशा और नियत से यह बनाया जा रहा है, और लक्ष्य और उद्देश्यों की पूर्ति के लिये यह भी किया गया कि ऐसी उलझनें और परेशानी न आ सकें जो मौजूदा म्युनिसिपल बोर्ड में आ जाया करती हैं। इन चीजों को देख कर यदि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाय तो कोई आपत्ति नहीं हो सकती है क्योंकि उद्देश्य और लक्ष्य के अनुसार ही यह संशोधन भी है। मैं नहीं समझ पाया कि अपर हाउस से किन किन बुनियादों के ऊपर यह किया गया है? जहां तक यह समझा जाय कि इसका एक पहलू यह है कि मैं विश्वास की न्यूनता का आभास नहीं देना चाहता हूं, परन्तु जो उद्देश्य था, उससे अलग हो कर मैं समझता हूं कि सरकार कोई विशेष लाभ नहीं उठा सकती। जो इसमें सब से बड़ी बात है वह यह है कि अगर सदन को इस तरह का विश्वास होता, और मैं समझता हूं कि अगर राम नारायण जी को यह पूर्ण विश्वास होता तो संभवतः यह संशोधन भी न आता। लेकिन शंकायें हैं और भविष्य को देखते हुए इन शंकाओं का कुछ आधार भी कहा जाता है, अतः मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि इसे स्वीकार किया जायगा।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---अध्यक्ष महोदय, मैंने विरोधी दल के उपनेता का संशोधन सुना लेकिन मैं उसका विरोध करता हूं। कारण यह है कि सरकार की पालिसी बिल्कुल साफ़ है। कोई बिल यहां से पास हुआ और अगर उसमें कोई कमी रही और अपर हाउस में उसको दुरुस्त कर लिया गया तो कौन सी बुरी बात है। 'पक्षा पक्षी कारणे सब जगह रहा भुलाय' वाली नीति के अनुसार सरकार पक्षपात नहीं कर रही है बल्कि उसने सब के लिये दरवाजा खोल दिया, हर आदमी के लिये अगर जरूरत पड़ गयी तो किया जा सकता है। हरिजनों की भी मदद की जा सकती है, ब्राह्मण की भी मदद की जा

[श्री शिवनारायण]

सकती है और रेफ्यूजीज़ के लिये तो है ही। इसलिये सरकार के बारे में कोई शक नहीं होना चाहिये। इसके लिये मैं माननीय रामनारायण जी से कहूंगा कि वह अपना संशोधन वापस कर लें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आशा थी कि माननीय मंत्री जी कोई संतोषजनक जवाब देंगे जिससे मैं अपने संशोधन को वापस लेने के बारे में सोचूंगा। लेकिन ऐसा कोई संतोषजनक उत्तर उनकी ओर से नहीं मिला। माननीय शिवनारायण जी को यह ग़लतफ़हमी है कि वहां हरिजनों को बसने की गुंजायश नहीं है, वहां सिर्फ रिफ्यूजीज़ ही बस सकते थे। इस मंडल की योजना के मुताबिक वहां रिफ्यूजीज़ को प्राथमिकता दी जाती है और अधिकतर वही बसेंगे। लेकिन व्यापार के लिहाज़ से अगर और दूसरे लोग बसें तो कोई मुमानियत नहीं है और मैं समझता हूं कि अगर लोग बसें तो उसमें रिफ्यूजीज़ को लाभ ही हो सकता है। मान लिया कोई आदमी गया और वहां उसने मकान बनाया और तिजारत करना शुरू किया जिससे रिफ्यूजीज़ को भी फ़ायदा है क्योंकि रिफ्यूजीज़ से यह आशा नहीं की जा सकती कि वे बड़े बड़े मिल चला कर व्यापक पैमाने पर कोई सहायता कर सकेंगे, लेकिन जैसी हालत है, अगर कुप्रबन्ध के कारण वह छोड़ कर चला जाता है, तो अगर एक आदमी मकान बनाता है तो ट्रान्सफ़र आदि करने का हक़ सभी को होना चाहिये लेकिन वह रेफ्यूजीज़ के हक़ ही में होगा कि यह अधिकार अन्य लोगों को न दिया जाय क्योंकि सरकार के कुप्रबन्ध के कारण यह हो सकता है कि लोग निकल भागें और जो रिफ्यूजीज़ की भलाई के लिये यह योजना बनायी गयी है उसमें कोई दिक्क़त हो। मुझे अफसोस है कि माननीय मंत्री जी की तरफ से अभी कोई ऐसा जवाब नहीं मिला जिससे अपने संशोधन को वापस लूं। मैं समझता हूं कि मुनासिब यही होगा कि जितना मेरे संशोधन में कहा गया उसको छोड़ कर जैसा कानून पहले था उसी को रखना चाहिये।

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—मुझे कुछ बहुत कहना नहीं है। जो हस्तिनापुर नगर विकास मंडल बनाया जा रहा है उसका असल मतलब यही है कि विस्थापितों की मदद की जाय। यह नहीं है कि वहां उनके खिलाफ़ काम किया जाय। यह गुंजायश काम की सुविधा के लिये रखी गयी है। कानून जब बनता है तो उसमें हर एक इमर्जेंसी को सोच लिया जाता है ताकि कोई मौका आ जाय तो उस वक्त कोई दिक्क़त न पड़े। सिर्फ़ इसीलिये ये अल्फाज़ रख दिये गये हैं वरना कोई डर की वजह से ऐसा किया गया हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अब भी यह कहूंगा कि वह संशोधन वापस हो जाय तो अच्छा है, और जो बिल मैं विधान परिषद् से संशोधन हो कर आया है उसको यह सदन मंज़ूर करे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि विधान परिषद् द्वारा कृत संशोधन की दूसरी पंक्ति में से निम्नलिखित निकाल दिया जाय—

"तथा किसी अन्य व्यक्ति"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सदन विधान परिषद् द्वारा कृत निम्नलिखित संशोधन को स्वीकार करता है—

"खंड १३ के उपखंड (घ) में आये हुये शब्दों 'विस्थापित व्यक्तियों (displaced persons)' के स्थान पर शब्द 'विस्थापित व्यक्ति (displaced person) तथा" किसी अन्य व्यक्ति' रख दिये जायं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हस्तिनापुर नगर विकास मंडल विधेयक, १९५४ जैसा कि इसका संशोधन पास हुआ है, उसको कबूल करके पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि हस्तिनापुर नगर विकास मंडल विधेयक, १९५४, जैसा कि इस सदन द्वारा अभी संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*यू० पी० इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५४

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यू० पी० इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५४, जैसा कि यह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मुझे अधिक नहीं कहना है। बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन जो कि आज कल चल रहा है उसकी अवधि खत्म हो गयी है। उसका चुनाव अब तक हो जाना चाहिये था। लेकिन बोर्ड की, और आयुर्वेदिक और यूनानी पुनस्संगठन समिति की भी यह राय है कि मौजूदा अधिनियम में कुछ आवश्यक परिवर्तन होना चाहिये और उस कार्य के लिये उन्होंने एक उपसमिति भी नियुक्त की है। उस समिति की रिपोर्ट अभी तक सरकार के पास नहीं आयी है। ऐसी स्थिति में बोर्ड आफ़ मेडिसिन का चुनाव कराना उचित नहीं था और न समय ही था और मौजूदा अधिनियम के अनुसार सरकार को उसकी अवधि बढ़ाने का अधिकार नहीं है। इसीलिये यह विधेयक इस सदन के सामने उपस्थित किया गया है जिससे जब तक कि नये चुनाव की व्यवस्था की जाय सरकार अधिक से अधिक दो वर्ष तक मौजूदा बोर्ड की अवधि बढ़ा सके। इसलिये मैं समझता हूं कि यह विधेयक जिस पर सदन को कोई आपत्ति नहीं हो सकती, सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फ़ैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का अफसोस है कि यह स्वास्थ्य सम्बन्धी और दवाओं सम्बन्धी विधेयक, यू० पी० इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक का भी मुझे विरोध करना पड़ रहा है। यह वह विधेयक है जिसके बारे में सरकार एक आर्डिनेन्स निकाल चुकी है। आप जानते हैं कि हमारा सत्र २८ दिसम्बर को खत्म हुआ था और उस वक्त सरकार को यह सूझ जाना चाहिये कि २५ जनवरी को कोई कानून खत्म होने वाला है लेकिन उसकी भी लिस्ट सरकार के पास नहीं रहती। हमारा बड़ा तल्ख तजुर्बा है कि सरकार प्रजातंत्र की परम्परा पर बिना आवश्यकता आर्डिनेन्स निकाल कर कुठाराघात किया करती है।

एक तो यह चीज है। इसका मैं घोर विरोध करता हूं। सरकार को समय रहते चेतना चाहिये और दूसरी चीज, यों तो माननीय मंत्री जी ने बताया कि हम सिर्फ इसलिये एक्सटेंशन का अख्तियार मांग रहे हैं चूंकि इस समय मसला विचाराधीन है कि बोर्ड किस तरह से बने, उसका विधान क्या हो, कौन-कौन उसमें रहे? इस वजह से चूंकि उसकी रिपोर्ट नहीं आयी है इसलिये दो साल का हम टर्म ले रहे हैं। ऐसी हालत में जब कानून बन जायगा तो सरकार के लिये हमेशा दो साल तक एक्सटेंड करने का अधिकार मिल जायगा। वह नया बोर्ड उस समिति की राय से बनाया जाता। उसके बाद भी अगर माननीय मंत्री जी वायदा करें कि उसके बनने के बाद हम यह वापस ले लेंगे तो हम इस विधेयक पर आज भी विचार करने के लिये तैयार हैं। उस समिति की रिपोर्ट न आने तक वह पुराना जो बोर्ड था जो आज तक चल रहा था वह चलता रहता। आखिर ऐसी क्या बात हो गयी और क्या दिक्कत आ गयी वही बोर्ड काम करता रहता।

---

* विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक १०, फरवरी, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

दूसरी बात दो साल की मियाद बढ़ाने से ताल्लुक़ रखती है। सरकार छिपे तरीके से कर लेना चाहती है। जो बोर्ड के मेम्बर वर्तमान हैं उनके लिये ५ साल का समय कर लेना चाहती है। पहले इस अधिनियम के अन्दर ३ साल रखा गया था अब वह ३ साल के बजाय ५ साल मेम्बरों की मियाद क्यों की जा रही है। हमने यह सुझाव दिया था कि जितने पंचायत वगैरह के चुनाव होते हैं उनकी टर्म को ज्यादा न रखा जाय क्योंकि यह मुनासिब नहीं है। उनके लिये ३ साल मुनासिब है और उसके बाद नये आदमियों को मौक़ा मिलता है। नये तरीके पर जो चुनाव होगा उसमें नये आदमी आयेंगे और उनसे अच्छा काम करने की आशा की जाती है। अगर कोई मेम्बर बोर्ड के काम में दिलचस्पी नहीं लेता है तो उसको आसानी से बदला जा सकता है। ५ साल के लिये अगर उनको लिया जाय तो उसका नतीजा यह होगा कि जो ग़लत मेम्बर आयेंगे वह ५ साल तक बने रहेंगे और जिस मकसद के लिये यह बिल पेश किया जा रहा है वह मक़सद हासिल नहीं होगा। सब से बड़ी बात यही टर्म के बढ़ाने की है जो यह बढ़ाने जा रहे हैं। हम उसको ३ साल ही चाहते हैं और ३ साल के अन्त में उसका अवश्य चुनाव हो जाना चाहिये। सरकार की नीति इस प्रकार की चल रही है जितनी चुनाव वाली संस्था हैं उनके बोर्ड की टर्म की बढ़ाती जा रही है। इस बोर्ड की मियाद भी वह २, २ साल के लिये बढ़ाना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि माननीय मंत्री इस प्रकार से टर्म बढ़ा कर अपनी सरकार की अयोग्यता को प्रदर्शित कर रहे हैं। समिति को अपना काम समाप्त करने में ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिये। वह इतना समय अपनी रिपोर्ट को पेश करने में लगायेगी यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। उसके लिये ३ महीने का समय या ६ महीने का अधिक से अधिक लिया जा सकता था। अगर माननीय मंत्री वायदा करें कि इस अधिकार को इसमें निकाल दिया जायगा जब कि विधेयक पास हो जायगा तो हम इस तरीके से ही इस पर विचार कर सकते हैं।

इसकी पांचवी धारा भी बहुत आपत्ति जनक है। इसके अन्दर इस प्रकार से किया जा रहा है कि जिसको मैं आप को पढ़ कर सुनाये देता हूं—

"सन्देहों के निवारणार्थ एतद् द्वारा प्रख्यापित, किया जाता है कि मूल अधिनियम की धारा १४ में जिस रूप में वह इस अधिनियम द्वारा संशोधित किये जाने से पूर्व थी, किसी बात के होते हुए भी, धारा ४ में अभिदिष्ट सदस्यों तथा चैयरमैन से निर्मित बोर्ड अथवा तत्पश्चात् किसी आकस्मिक रिक्ति में चुने गये किसी सदस्य या चैयरमैन, अथवा उक्त बोर्ड के आदेशानुसार कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किये गये सभी कार्यों पर, जिनके अन्तर्गत दी गई आज्ञायें, सम्पादित व्यवहार तथा कार्यवाहियां, प्रचलित आदेश अथवा प्रयुक्त अधिक्षेत्र हैं, केवल इसी आधार पर आक्षेप नहीं किया जायेगा कि उक्त सदस्यों अथवा चेयरमैन का कार्यकाल समाप्त हो गया होता यदि धारा ४ न होती, तथा ऐसे सब कार्य एतद्द्वारा वैध किये और प्रख्यापित किये जाते हैं। एवं ऐसे कार्यों को उनके सम्पन्न होने के समय पर और समय से पुष्ट किया जाता है।"

इस पर माननीय मंत्री जी को रोशनी डालनी चाहिये कि इसलिये यह किया जा रहा है और इसलिये उसके वैलिडेशन की आवश्यकता है। किन्तु सरकार ऐसी कार्यवाही कर देती है जिसको बाद में विधेयक के द्वारा दुरुस्त किया जाता है और गलत कार्यवाही को कानून का रूप दिया जाता है। अगर सरकार पहले से ही सजग रहती तो उसको आर्डिनेन्स बनाने की आवश्यकता नहीं थी। जिन बातों की तरफ मैंने इशारा किया है और माननीय मंत्री जी उन पर ध्यान दें और हमारी बात को मानने के लिये तैयार हों तो हमें इस विधेयक में उनको सहयोग देने में बड़ी प्रसन्नता होगी।

श्री बनारसी दास—श्रीमन्, अभी माननीय विरोधीदल के उपनेता ने जो प्रश्न उपस्थित किया है वह सही है कि इस विधेयक के द्वारा अधिक से अधिक दो साल के लिये

बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन के टर्म को बढ़ाना चाहती है लेकिन रामनारायण जी ने कहा जैसा कि ३ महीने और ६ महीने भी उसकी मियाद बढ़ाई जा सकती थी। अगर इस विधेयक को देखा जाय तो उसमें यह आवश्यक नहीं है कि दो साल के लिये ही बोर्ड के टर्म को बढ़ाया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--व्यवस्था का प्रश्न। श्रीमन्, माननीय बनारसीदास जी से पूर्व श्री मदनगोपाल वैद्य और श्री जोरावर वर्मा जी भी बोलने के लिये खड़े हुए थे।

श्री अध्यक्ष--वे बीच में इंटरवीन कर रहे हैं। उसके बाद वे बोल सकेंगे।

श्री बनारसी दास--दो साल की अवधि बढ़ाई जाना आवश्यक नहीं है। उसमें लिखा है कि अधिक से अधिक २ साल तक अवधि बढ़ाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त राम नारायण जी ने यह भी कहा कि.....

श्री अध्यक्ष--यह तो आप जवाब में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि पहिले उनको मौका दे देना चाहिये, फिर आप जवाब दें।

श्री मदन गोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं अपने स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमें आज बोर्ड आफ मेडिसिन संशोधन बिल के ऊपर विचार करने का अवसर मिला। इस कानून को पास हुये कई वर्ष हो गये जैसा कि इसके उद्देश्यों और कारणों में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी बोर्ड के संगठन के सम्बन्ध में, तथा और भी जो दिक्कतें महसूस हुई हैं थी, जो दिक्कतें आयुर्वेदिक और यूनानी कठिनाई कमेटी की रिपोर्ट में बतायी गयी थीं लेकिन उनमें से किसी भी चीज का इसमें समावेश नहीं किया गया है और केवल बोर्ड की अवधि को बढ़ाने के लिये इस कानून को पेश किया गया है। जब बोर्ड था ३ वर्ष पूरा होकर डेढ़ वर्ष और हो गया तब यह कानून पेश किया गया है। अभी एक सब-कमेटी विचार ही कर रही है फिर भी यह बिल हमारे सामने आ गया है। इस बिल के अन्दर बहुत से महत्वपूर्ण संशोधन की आवश्यकता थी लेकिन, जैसा कि सरकार के इस संशोधन बिल से प्रतीत होता है सरकार का उद्देश्य केवल बोर्ड की अवधि को बढ़ाने का ही है। जो मौजूदा संशोधित बिल है उसको इतनी जल्दी में पेश किया जा रहा है कि उस पर सावधानी से विचार भी नहीं किया गया और यह भी मालूम नहीं पड़ता कि इसके खंड ४ और ५ मूल अधिनियम में कहां चस्पां होंगे। इतनी उतावली में यह अधिनियम पेश किया जा रहा है कि बोर्ड में जो बड़े महत्वपूर्ण पद रजिस्ट्रार और चेयरमैन के हैं, उनके बारे में भी कोई जिक्र नहीं किया गया। इस कानून का उद्देश्य तो देशी चिकित्सा पद्धति की उन्नति करने का है उसके लिये आवश्यक है कि इस बोर्ड की स्थापना हो। यह भी कई बार बताया गया कि बोर्ड का जो रजिस्ट्रार होना चाहिये वह एक टेक्निकल आदमी होना चाहिये तभी वह इस चिकित्सा पद्धति को सफल बना सकेगा, लेकिन सरकार ने अभी उसको भी स्वीकार नहीं किया है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वह रजिस्ट्रार के पद पर अवश्य ही एक टेक्निकल आदमी की नियुक्ति करे। इस तरीके से बोर्ड के संगठन के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता है। पुर्नसंगठन समिति की रिपोर्ट भी प्रकाशित हो चुकी है, लेकिन फिर भी संगठन के अन्दर कोई परिवर्तन नहीं किया गया है केवल अवधि बढ़ाने की बात कही गयी है। अगर टेक्निकल रजिस्ट्रार नियुक्त कर दिया जायगा तो उससे बहुत अधिक काम लिया जा सकता है और उसकी सेवाओं से आयुर्वेद की काफी उन्नति हो सकती है। लेकिन बहुत दिनों के हो जाने पर भी अभी तक रजिस्ट्रार और सभापति नान टैक्निकल आदमी ही हैं। इसके अतिरिक्त आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति पर भी इसमें कोई प्रकाश नहीं डाला गया है और भी इस कानून में बहुत सी बातें हैं जिसके अन्दर आज भी बहुत से संशोधन आवश्यक हैं। इस कानून में बहुत सी दफायें हैं, जो आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन बोर्ड को अधिकार देती हैं, लेकिन उनके अनुसार कोई काम नहीं किया गया है। इसमें बोर्ड के पावर्स बहुत विस्तृत रूप से लिखे हैं

[श्री मदनगोपाल वैद्य]

लेकिन उन पर कोई भी अमल नहीं किया गया है और अनेकों बातें कानून में हैं जो देशी चिकित्सा पद्धति के लिये आवश्यक हैं, लेकिन उनको उपयोग में नहीं लाया है जा रहा है। इस तरीके से कानून पेश किया गया है वह मियाद के बाहर जो चल रहा है उसको कानूनी रूप देने के लिये विधेयक पेश किया गया है, इसलिये सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं। मैं अधिक बातें इस समय न कह कर सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि सभापति और रजिस्ट्रार के पद पर ऐसा आदमी इसके जरिये से हो सकता है कि जो टक्निकल न हो और मेरा कहना यह है कि उस स्थान पर टेक्निकल आदमी होना चाहिये क्योंकि उनके द्वारा ही आयुर्वेद और यूनानी की उन्नति हो सकती है। शेष बातें तो जब संशोधन उपस्थित करने को का अवसर आयेगा तब पेश की जा सकती हैं।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो बिल पेश हुआ है वह इंडियन मेडिसिन से संबंधित बिल है। अध्यक्ष महोदय, आप सोच सकते हैं कि अगर कोई मेडिकल डाक्टर किसी प्रकार की गड़बड़ी कर दे तो बीमार की क्या दुर्दशा होगी। जब हमारे मन्त्री महोदय इस तरह का एक हाच पाच तरीके से बिल ला रहे हैं तो इसका असर पड़ना भी उसी तरह से जरूरी है और इस पर मुझे आश्चर्य हो रहा है। इसके उद्देश्य में लिखा हुआ है "आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धतियों की पुनस्संगठन समिति ने भी इसे संशोधित करने के लिये कुछ सिफारिशें की हैं।" अधिक उचित तो यही होता कि माननीय मंत्री जी ने इन सिफारिशों को भी सदन के सामने रख दिया होता तो लोग भी समझ सकते कि आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धतियों की पुनस्संगठन समिति ने क्या सिफारिशें की हैं।

दूसरे जो खंड ४ में (ख) है उसने बड़ी विषम परिस्थिति पैदा कर दी है। सरकार को यह मर्ज है टाइम एक्सटेंशन करने का और यदि अध्यक्ष महोदय आप पिछले बिलों को देखेंगे तो मालूम होगा कि सेन्ट परसेन्ट बिल हैं जिनमें समय की मियाद बढ़ाई गई है। इससे पता लगता है कि यह सरकार कितनी सुस्त है कि समय के अन्दर कोई काम नहीं करती और हमेशा समय बढ़ाने की जरूरत पड़ जाती है। अभी हमारी सरकार नई है उसको ज्यादा जोश और ज्यादा अच्छे ढंग से काम करना चाहिये जिससे कम से कम लोग इस बात की आशा कर सकें कि हमारी सरकार कुछ जिन्दादिल है, और डल नहीं है। इसके खंड ३ में २ साल का एक्स्टेंशन दिया जा रहा है, यह क्यों? यह समझ में नहीं आया हालांकि माननीय मंत्री जी ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा टाइम ले रहे हैं। आप क्यों ज्यादा से ज्यादा टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपको चाहिये कि कम से कम टाइम लगे। होना तो यह चाहिये कि जो टाइम दिया हुआ है उसी के अन्दर बोर्ड का संगठन होना चाहिये, लेकिन तब नहीं हुआ तो आप को कम से कम समय लेना चाहिये। लेकिन आप ने अधिक से अधिक लेने की कोशिश की और फिर कुछ थोड़े से टाइम की जरूरत पड़े तो कम से कम अध्यादेश गवर्नर के आर्डिनेंस द्वारा टाइम को एक्सटेंशन होना चाहिये था उसके अन्दर इस कार्य को पूरा किया जा सकता है। खंड ५ जो है वह यह है कि बोर्ड के चेयरमैन या दूसरे लोगों ने जो कार्य किया है चाहे वह सही हो या ग़लत लेकिन उनको लाफुल डिक्लेयर करने के लिये संशोधन लाये जा रहे हैं। इससे यह निश्चित हो जाता है कि जो कार्य किये गये हैं वह अनलाफुल हैं और इस बिल का मुख्य उद्देश्य उनको लाफुल डिक्लेयर करने का है। हमारे वैद्य जी ने अभी बताया कि बोर्ड के चेयरमैन, सदस्य और दूसरे लोग होंगे वह नान-टेक्निकल होंगे। यह भी बड़े आश्चर्य की बात है कि इस इंडियन मेडिसिन बोर्ड में टेक्नीकल आदमी न हों। अभी जो यूनिवर्सिटी का विधेयक आया था उसमें भी वाइस चांसलर ऐसे आदमी को रखा गया है उसके लिये भी कोई परिभाषा नहीं रखी गयी है कि वह एजूकेशनिस्ट होगा या नहीं होगा? इससे मालूम पड़ता है कि जो सरकार है वह वास्तव में किसी विशेष विषय के व्यक्ति को नहीं रखना चाहती है बल्कि कुछ लोगों को उस पर बैठा कर

अपना मनमाना करना चाहती है। इस सम्बन्ध में यह आवश्यक था कि बोर्ड का जो रजिस्ट्रार हो वह टेक्निकल हैंड होना चाहिये। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमको इस निष्कर्ष पर निश्चय ही पहुंचना होगा कि हमारा इंडियन मेडिसिन बोर्ड, जो आयुर्वेदिक व यूनानी पद्धति है जिससे हमारे यहां के बहुत से लोग परिचित हैं, उसके लिये कोई उचित कार्य नहीं कर सकता है। मैं समझता हूं कि यहां पर बहुत बड़े आयुर्वेदिक चिकित्सकों की अवहेलना हो रही है क्योंकि सरकार ऐसे लोगों को भी जगह देती है जिनके लिये "काला अक्षर भैंस बराबर" है। जो किसी विषय को जानते नहीं हैं उनको कोई अधिकार दे देंगे तो निश्चय है कि वे जरूर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बिल को वापस ले लेंगे और अब सोच समझ कर कोई अच्छे ढंग का संशोधन सदन के सामने रखेंगे ताकि कम से कम इस बोर्ड का हित हो, और इस बोर्ड के अलावा हमारा जन स्वास्थ्य बने और हम लोगों का भी भला हो सके।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बिल इस समय सरकार के सामने रखा गया है, वह आर्डिनेंस के रूप में बहुत पहले ही निकल गया है। अध्यक्ष महोदय, जब अंग्रेजों के वक्त में कोई आर्डिनेंस निकला करता था तो हम लोग, चाहे वह किसी प्रकार का भी आर्डिनेंस होता था, उसकी मुखालिफत करते थे और यह बतलाने की कोशिश करते थे कि आर्डिनेंस तो बहुत ही कम निकलना चाहिये। परन्तु हमारी सरकार की कुछ आदत ऐसी हो गयी है कि जब लेजिस्लेचर मीट करता है तब तो कानून नहीं बनाती और एसेम्बली के सामने वह चीज नहीं लाती लेकिन एसेम्बली बन्द हुई नहीं कि आर्डिनेंस पर अडिनेन्स निकलने शुरू हो जाते हैं और वह इसलिये भी हो जाता है अध्यक्ष महोदय कि वैसे तो आर्डिनेंन्स छः महीने के अन्दर कानून बनता है और लेजिस्लेचर जब बीच ही में बैठ जाय तो करीब ६ हफ्ते में वह बिल कानून के रूप में एसेम्बली से पास हो जाता है। हमारी सरकार को इतने पर ही इंडियन मेडिसिन बोर्ड की अवधि को बढ़ा देने के लिये ही यह संशोधन आज यहां लाना पड़ा। इसके उद्देश्य और कारण में लिखा है "आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धतियों की पुनस्संगठन ने भी इसे संशोधित करने के लिये कुछ सिफारिशें की हैं" अगर वह भी इसमें रख दिया गया होता तो हमको कुछ न कुछ तसल्ली होती कि सिफारिशें आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति की शिक्षा और उनके पुनस्संगठन के सिलसिले में की गयी हैं वे भी हमारे सामने इस सदन में आ गयी हैं और उनके ऊपर हम विचार कर लेंगे। लेकिन उसकी भी कोशिश इसमें कुछ नहीं की गयी है। जहां तक उसके एक्टेंशन का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, एक्टेंशन तो इतना ज्यादा हो रहा है, जैसा कि श्री जोरावर वर्मा जी ने कहा कि सरकार स्वयं समय पर कुछ काम करती नहीं और कभी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का एक्स्टेंशन कर रही है और पंचायतों का भी एक्सटेंशन कर रही है क्योंकि पंचायतों का भी चुनाव नहीं हो पाया है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का भी चुनाव नहीं हो पाया है। न मालूम कार्पोरेशन बन पायेंगे और जगह जगह ऐडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए हैं। सरकार कानून बनाने का अधिकार अपने हाथ ही में रखना चाहती है और चूंकि उसका बहुमत है इसलिये समझती है वह जो कुछ चाहे कर लेगी। अब तो मैं समझता हूं कि विधान सभा को बुलाने की भी आवश्यकता इस सरकार को न पड़े। अगर बजट को पास न करवाना हो और वह भी आर्डिनेंस के रूप में ही बन जाता, तो साल भर तक हमलोग अपनी कांस्टीटुएंसी में बैठ कर आराम के साथ काम करते। लेकिन चूंकि बजट पास होना जरूरी है, बिना उसके पास किए हुए कुछ खर्चा नहीं किया जा सकता। अगर कंटिजेंसी फंड में इतना रुपया होता जिसको सरकार खर्च करके अपना काम चला सकती तो इस बजट को समय पर लाने की आवश्यकता ही न पड़ती। लेकिन एक तो कंटिजेंसी फंड में रुपया ही कम होता है दूसरे संविधान के अनुसार यहां से बजट का पास होना आवश्यक है। अगर किसी कानून की अवधि खत्म हो और उसकी अवधि बढ़ाई जाय तो उसके लिये जब कोई बिल हमारे सामने आवे तो उसमें सिर्फ़ अवधि बढ़ाने की बात न हो बल्कि उसमें कुछ और भी बातें हो जानी चाहिये ताकि सदन का समय नष्ट न हो और अवधि के साथ-साथ और विषय पर भी विवाद

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

हो सके। इस चन्द शब्दों के साथ मैं जो यह बिल हमारे सामने पेश है, उसका विरोध करता हूं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फ़ैजाबाद)--मान्यवर, म इस बिल के विरोध में खड़ा हुआ हूं। मेरे माननीय मित्रों ने जो इस सम्बन्ध में कहा है, जहां तक हो सकेगा मैं उन्हीं बातों को दोहराने से बचूंगा। मैंने यह देखा कि इसके साथ बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन पर गम्भीरता से विचार करना परमावश्यक है। मैं समझता हूं कि हमारे माननीय सभासचिव की तो वही हालत है और ऐसा मालूम होता है कि उनको भी पूर्ण विश्वास नहीं है कि अवधि को बढ़ा कर कोई विशेष लाभ पहुंच सकेगा और जैसा कि अंग्रेजी में कहा गया है कि "His honour not rooted in dishonour stood and faith un-faithful kept in falsely-true." तो उन को स्वयं ही विश्वास नहीं है और वह समझते हैं कि इस से कोई लाभ नहीं है। जहां तक सिद्धांत की बात है वह ठीक ही है कि जहां तक हो सके आर्डिनेन्स जारी न होने चाहिये और अगर सरकार सतर्क रहे तो इस प्रकार की कठिनाई भी न हो लेकिन जहां तक अवधि को बढ़ाने का सवाल है और अगर बोर्ड की लाइफ को ३ साल से ५ साल कर दिया जाय तो कोई आपत्ति नहीं है, नारायणदत्त जी को भले ही हो, लेकिन हमें कहना यह है कि ३ साल से ५ साल तक वह कुछ काम करे और उसको मौका जनता की भलाई का मिले और वह बोर्ड आफ मेडिसिन सुधार कर सके तो कोई चिन्ता न होगी। लेकिन अभी हमें भय है कि २ साल बाद फिर वह दिन आयेगा कि मंत्री जी कहेंगे कि सिफारिशें अधूरी हैं और काम पूरा नहीं हुआ है और सदन के समक्ष एक्सटेंशन की प्रार्थना करें। इसी प्रकार के एक्सटेंशन के बारे में श्री मदन मोहन जी ने बताया है कि अब तो यह एक्टेन्शन सरकार के लिये 'आर्डर आफ दि डे' हो गये हैं और जब उसको सुविधा होती है तभी वह एलेक्शन कराती है, यही सरकार की नीति है। अगर उसको असुविधा है तो अनेक कारण बन जाते हैं और परिस्थिति गम्भीर दिखा कर एक्सटेंशन की आवश्यकता दिखलायी जाती है। हमारे सभासचिव जी इस कार्य में कुशल हैं और वह तो एक नीति है जो उनको बताई गई है और अगर वह भी श्री द्वारका प्रसाद मौर्य जी की तरह कल को गद्दी पर न रहे तो वह भी कहना शुरू करेंगे कि आज परम स्वतंत्र हूं और स्वतंत्रता का पाठ सिखाने लगेंगे और उसके विरुद्ध बोलने लगेंगे लेकिन दुर्भाग्यवश वह दिन उनके लिये कब आयेगा यह वह स्वयं समझ सकते हैं या उनके माननीय नेता समझ सकते हैं। श्रीमन्, एक माननीय सदस्य की नियत पर हमला करने का भय हो रहा है। मैं नियत पर हमला नहीं करता हूं मैं समझता हूं कि पहले अपनी नियत को सुधारना चाहिये और फिर दूसरों की नियत पर हमला करना चाहिये। उस उसूल को मान कर इस सरकार की नीति की व्याख्या कर रहा हूं। आज मदन गोपाल वैद्य उस पार्टी में हैं, अगर पार्टी बन्धन न हो तो वे स्वयं बतला सकते हैं कि वे भी इंडियन मेडिसिन बोर्ड से कितने असंतुष्ट हैं। यूनानी और आयुर्वेद की जो यह कमेटी है उसका मैं सदस्य हूं और जो मैंने देखा है और सुना है वह ऐसी चीज है कि इसको हमेशा स्टेपमदरली ट्रीटमेंट दिया गया है और आशा नहीं है कि कोई सुधार इसमें हो जायगा। इसकी वजह यह है कि भारत-वासियों में एक महान् गुण यह है कि पहिले वे दूसरे की नक़ल करते हैं तब अपने सदगुणों पर विचार करते हैं। हम अपना सिस्टम, अपनी साइंस जो भी है उसको भूलते जाते हैं। मैं मानता हूं कि अमेरिका के पास हाइड्रोजन बम है, एटम बम है और आइजनहोवर और चर्चिल साहब को उस पर गौरव हो सकता है, लेकिन भारत भी कभी ऐसा पददलित नहीं रहा है। अगर सरकार खर्च करे तो मैं विश्वास दिला सकता हूं कि यूनानी और आयुर्वेद में भी बहुत सी औषधियां हैं जिनकी आज देश भर में पूरे तौर से मांग हो सकती है। लेकिन कठिनाई यह है कि कोई पूछता नहीं, कोई अन्वेषण नहीं होता। यह एक ऐसी चीज है श्रीमन्, कि सैकिंड फाइव ईयर प्लान और फर्स्ट फाइव-ईयर प्लान

के बावजूद भी अगर इस सिस्टम पर ध्यान नहीं दिया गया तो अवश्य ही थोड़े दिनों में यह समाप्त हो जायगा। अगर ऐसा ही रहा तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसके सुधार के लिये न कोई कदम उठाया गया है और न भविष्य में उठाया जायगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री का ध्यान इन बातों की ओर दिलाना चाहता हूं और अगर क्रोध के वश में उन्होंने मेरी किसी बात को समझने में का प्रयास न किया हो तो वे इतना ही समझ लें कि वे इस सिस्टम को जीवित रखने की चेष्टा करें और यह उनके लिये बड़ा श्रेयस्कर सिद्ध होगा।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, यह एक्सटेंशन जो हम हर वर्ष करते हैं सरकार को वास्तव में इसके लिये सचेष्ट रहना चाहिये। इससे जनता में असंतोष रहता है क्योंकि मैं देखता हूं कि हर महकमें से संबंधित ऐक्ट्स का ऐक्सटेंशन होता रहता है चाहे वह म्युनिसिपल बोर्ड हो या कोई और विभाग हो मैं उस जिले को रिप्रेजेंट करता हूं जहां काफी बीमारी रहती है। गवर्नर साहब के एड्रेस के वक्त भी मैंने इस ओर ध्यान आकर्षित किया था। मेडिकल विभाग के सभासचिव यहां बैठे हुए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ६०० आदमी सिलेक्शन में आते हैं और एक आदमी चुना जाता है। सिर्फ कागजात की पोथियां तैयार करने से काम नहीं चलेगा। यहां जो लोग बैठे हुए हैं उनको सक्रिय कदम उठाना होगा। भारतीय जो परम्परा है उसको प्रोत्साहित करना होगा। हमारा देश संसार का गुरु रहा है और बाहर के लोग हमसे प्रभावित रहे हैं। कोई लेमैन किसी विभाग में ठीक काम नहीं कर सकता। जैसा वैद्य जी न कहा अगर कोई मेडिकल एक्सपर्ट होगा तो देश का कल्याण होगा और कम पैसे में लोगों का भला हो सकेगा। मेरा अपना तजुर्बा है कि बलरामपुर अस्पताल के सबसे बड़े डाक्टर से मैं दवा ले गया लेकिन जब तक पानी उसक साथ इस्तेमाल नहीं किया कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुक्सान ही हुआ। जब वहां मुझे बतलाया गया कि पानी खूब पियो तब उसने फायदा किया। हमें पुरानी संस्कृति को भूलना न चाहिये। हर साल एक्सटेंशन कराना मुनासिब न होगा। हर बात के लिये आर्डिनेंस निकालना ठीक नहीं होता। जैनुइन केसेज में ही आर्डिनेंसेज निकालना चाहिये। मैं आज कहना चाहता हूं कि आर्डिनेंस का इस्तेमाल तो उस दिन होना चाहिये कि जिस दिन हमारे ऊपर एटम बम गिरता हो, क्योंकि सदन तो हर तीन चार महीने बाद बैठता है और उसी में यह सब चीजें पास करा ली जा सकती हैं। हर साल हम लोग इसका समर्थन करते हैं और हर साल एक्सटेंशन देते हैं। तो इसलिये मैं आपके जरिये से यह दरख्वास्त करता हूं कि इस बात का ध्यान रखा जाय और इसके साथ ही म इसका समर्थन करता हूं।

श्री बनारसी दास—श्रीमन्, श्री जोरावर वर्मा जी ने इसका विरोध किया और इसलिये उनके आश्चर्य पर मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। उन्हें तो एक प्रकार का फोबिया हो गया है और वह हर आर्डिनेंस और हर अधिनियम में इसी प्रकार का संदेह किया करते हैं और देखा करते हैं। राजा साहब जो कह रहे थे, वह मैं समझता हूं कि उन्हीं के शब्दों की प्रतिध्वनि उनके कानों में हो रही थी। पहले किसी बात के लिये उन्होंने कुछ सोच रखा था और इस समय मौका मिलने पर उन्होंने कह दिया।

जहां तक इस अधिनियम का सवाल है यह सही है कि इसमें इस समय एक्सटेंशन का प्रश्न है इसलिये नहीं कि सरकार पूरी तरह से इससे वाकिफ नहीं थी, या एक्सटेंशन वह लेना चाहती थी। जैसा कि इसमें पांचवी धारा के द्वारा प्राविजन किया है इसकी अवधि सन् ५४ के फरवरी के महीने में खत्म हो गयी थी और सरकार को एक्सटेंशन का कोई अधिकार नहीं था। इसलिये इसमें दो साल के एक्सटेंशन की व्यवस्था की गई है और उसकी अवधि ५ साल रखी गयी है। जैसा विरोधी दल के माननीय उपनेता ने कहा यह कोई इरादा नहीं है कि इस पांच साल की या दो साल की अवधि को मुस्तिकल रखा जाय। इस अर्से में जैसे ही यूनानी और आयुर्वेदिक संगठन समितियों की सिफारिशों और बोर्ड आफ इंडियन मेडिसन ने जो समिति मुकर्रर की है उसकी रिपोर्ट आ जायगी, उनका एक विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत किया जायगा और उस समय सदन को मौका होगा कि यह तय करे कि बोर्ड का कार्यकाल

[श्री बनारसी दास]

कितना हो, एलेक्शन की पद्धति क्या हो, क्या उसके अधिकार हों और क्या उसके प्रधान की क्वालिफिकेशंस हों, वह टेक्निकल हो या नान-टेक्निकल हो, आदि। किन्तु मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ मदन गोपाल जी की बात पर। उसमें तो वैद्य हैं, उसमें हकीम हैं और उनको अधिकार है कि वह चाहे जिसको अपना प्रधान चुनें। बोर्ड के प्रधान का जहां तक सवाल है वह तो स्वयं एक वैद्य हैं और इसलिये मैं नहीं समझ पाया कि एक जो सदस्य हैं उन्होंने उनको चुनने में गलती की या कुछ और हुआ। मैं एक बात यह भी नहीं समझ पाया जिसे कि जोरावर वर्मा जी ने कहा रजिस्ट्रार के बारे में और उपकुलपति के बारे में। पता नहीं वह इस बात को इतनी बार दोहरा क्यों रहे हैं? क्वालीफिकेशन्स हर जगह हर एक के लिये मौजूद हैं। इस सदन के एम०एल० ए० के लिये क्या क्वालीफिकेशन हों और एम० पी० के लिये क्या क्वालिफिकेशन हों, अलग-अलग दी हुई हैं। उन दोनों में समानता करना तो जनतंत्रवाद के खिलाफ है। उन क्वालीफिकेशन के होने पर जनता जिसे चाहे सदस्य चुन सकती है। लेकिन आगे के लिये प्रेसीडेंट की क्या योग्यता हो और उसका चुनाव कैसे किया जाय, जैसा राम नारायण जी ने कहा उसके बारे में पूरा अधिनियम इस सदन में आयेगा विचार करने के लिये और उस पर पूरा मौका मिलेगा। पांचवीं धारा की आवश्यकता इसलिये है कि फरवरी १९५४ से बोर्ड आफ इंडियन मेडीसन कार्य कर रहा है और हम उसके कार्यकाल को एक्सटेंड नहीं कर सकते थे। इस बीच में उन्होंने ग्रान्ट भी दी हैं और वैद्यों और हकीमों का रजिस्ट्रेशन भी किया है, तो यदि हम इस धारा को मंजूर नहीं करते हैं और इसको वैध नहीं करते हैं तो इस एक साल का कार्य का क्या होगा? आर्डिनेंस के सिलसिले में कुछ आपत्ति की गयी एटम बम से विनाश हो सकता है और संसार के कल्याण के लिये भी प्रयोग किया जा सकता है। एटम शक्ति में कोई बुराई निहित नहीं है। आर्डिनेंस में कोई बुराई नहीं है उसके प्रयोग में हो सकती है। यदि आर्डिनेंस जनता के कल्याण के लिये काम में लाये जावें तो क्या आपत्ति की जा सकती है इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि यू० पी० इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २५ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

खंड २

२--यू०पी० इंडियन मेडिसिन ऐक्ट, १९३९ (जिसे यहां पर आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय: यू०पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा ९ का संशोधन।

General Elections.

"9. There shall be general election of members of the Board before the expiry of their term or extended term, as the case may be, under section 14, on such date or dates as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint in that behalf."

श्री उपाध्यक्ष--श्री रामनारायण त्रिपाठी जी ने एक संशोधन दिया है। मैं नहीं जानता, उसकी कापी और लोगों को मिली है या नहीं। वह इस प्रकार है--

खंड २ में नये प्रस्तावित खंड ९ की पंक्ति २ में से निम्नलिखित निकाल दिया जाय-
"Or extended term."

क्या माननीय सदस्य इसको पेश करना चाहते हैं?

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने दो संशोधन दिये थे। एक तो एक्सटेंडेड टर्म के बारे में कि बोर्ड के लिये एक्सटेंडेड टर्म नहीं होना चाहिये, गवर्नमेंट को उसका अधिकार नहीं होना चाहिये, और दूसरे यह कि अगर एक्सटेंशन जरूरी है तो सिर्फ छै महीने कर दिया जाय। लेकिन अपने भाषण में माननीय सभा सचिव श्री बनारसी दास ने यह आश्वासन दिया है कि ऐसा करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है कि मुस्तकिल तौर पर यह संशोधन रखा जाय बल्कि जब वह समिति की सिफारिशों के अनुसार व्यापक विधेयक प्रस्तुत करेंगे तो यह जो टेम्पोरेरी मेजर लिया जा रहा है, वह हटा दिया जायगा। ऐसी हालत में मैंने यह निश्चय किया है कि कोई संशोधन मूव नहीं करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

३—मूल अधिनियम की धारा १४ में :

(क) निम्नलिखित प्रथम प्रतिबंधात्मक खंड के रूप में जोड़ दिया जाय :

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा १४ का संशोधन।

"Provided that the State Government may, by notification in the official Gazette, extend, from time to time, the term of the Chairman and all members of the Board so however that the total extension does not in the aggregate exceed two years;"

और (ख) वर्तमान प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड (Proviso) को द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड समझा जाय और शब्द "Provided" तथा शब्द "that" के बीच में शब्द "also" रख दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

४—मूल अधिनियम की धारा ९ तथा १४ में किसी बात के होते हुये भी :

(क) इस अधिनियम के प्रारम्भ से तत्काल पूर्व होने वाले सामान्य निर्वाचन में निर्वाचित बोर्ड के सदस्यों, तथा

(ख) उक्त सामान्य निर्वाचन के परिणामस्वरूप ऐसे सदस्यों द्वारा निर्वाचित चेयरमैन का कार्यकाल पांच वर्ष होगा और समझा जायगा।

विगत सामान्य निर्वाचन में निर्वाचित सदस्यों तथा चेयरमैन का कार्य-काल पांच वर्ष होगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५

५—संदेहों के निवारणार्थ एतद्द्वारा प्रख्यापित किया जाता है कि मूल अधिनियम की धारा १४ में, जिस रूप में वह इस अधिनियम द्वारा संशोधित किये जाने से पूर्व थी, किसी बात के होते हुये भी, धारा ४ में अभिदिष्ट सदस्यों तथा चेयरमैन से निर्मित बोर्ड अथवा तत्पश्चात् किसी आकस्मिक रिक्ति में चुने गये किसी सदस्य या चेयरमैन, अथवा उक्त बोर्ड के अदेशानुसार कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किये गये सभी कार्यों पर, जिनके अन्तर्गत दी गयी

कार्यों और कार्यवाहियों का वैधीकरण।

आज्ञायें, सम्पादित व्यवहार (action) अथवा कार्यवाहियां, प्रचलित आदेश अथवा प्रयुक्त अधिक्षेत्र हैं, केवल इसी आधार पर आक्षेप नहीं किया जायेगा कि उक्त सदस्यों अथवा चेयरमैन का कार्यकाल समाप्त हो गया होता यदि धारा ४ न होती, तथा ऐसे सब कार्य एतद्द्वारा वैध (lawful) किये और प्रख्यापित किये जाते हैं एवं ऐसे कार्यों को उनके संपन्न होने के समय पर और समय से पुष्ट किया जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

यू० पी० इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५४

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ — यू० पी० इंडियन मेडिसिन ऐक्ट, १९३९ में कुछ प्रयोजनों के निमित्त संशोधन करने का

विधेयक

यू०पी० ऐक्ट १०,१९३९ । — यू०पी० इंडियन मेडिसिन ऐक्ट, १९३९ को यहां पर आगे चल कर प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करना आवश्यक है,

इसलिये भारतीय गणतंत्र के पांचवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त शीर्ष नाम तथा प्रारम्भ। — १---(१) यह अधिनियम यू० पी० इंडियन मेडिसिन (संशोधन) अधिनियम, १९५४ कहलायेगा ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बनारसीदास---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यू० पी० इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५४ जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय सभा सचिव से पूछना था कि ४-५ खंड जो हैं वह मूल अधिनियम में कहां पर लगाये जायेंगे । मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, वह केवल इसका ही उत्तर दे दें ।

श्री बनारसी दास---यह तो माननीय सदस्य ने देखा कि इस मूल अधिनियम में जैसा कि एक नया खंड जोड़ा गया है, जिसका कि अर्थ इतना है कि जो कार्यवाही इस दौरान में बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन की ओर से की गयी है वह वैध हैं, यही इसका तात्पर्य है ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि यू० पी० इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५४ जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९५४

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, विचार किया जाय ।

श्रीमन्, इस विधेयक के सम्बन्ध में मुझे केवल इतना ही कहना है कि अब तक जो गन्ना मिल्स को सप्लाई होता है उसके लिये केन कमिश्नर को यह अधिकार है कि वह एक वर्ष के अन्दर गन्ने के सेंटर्स को किसी भी मिल के लिये लगा सकें, लेकिन व्यवहार में देखने में कठिनाई महसूस हुयी है कि एक सीजन से ज्यादा गन्ना एक मिल में कमिश्नर को लगाने का अधिकार हासिल नहीं है । इसलिये यह संशोधन किया गया है कि केन कमिश्नर एक वर्ष से भी अधिक जहां पर उचित हो वहां पर गन्ना फैक्ट्री को लगा सके । इससे उत्पादक और फैकटरी दोनों में अच्छा सम्पर्क होगा और गन्ने का विकास हो सकेगा । यह एक ऐसा विधेयक है जिसमें किसी-किसी को मतभेद नहीं हो सकता ।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, जहां तक इस विधेयक का उद्देश्य है यह तो काफी सुन्दर लगता है और ऐसा प्रतीत होता है कि अगर मौसम के बजाय मौसमी कर दिया जाय और गन्ना विकास क्षेत्र को एक निश्चित अवधि तक विकसित करने के लिये कोई योजना बना दी जाय तो अति उत्तम होगा । तो उद्देश्य तो बहुत सुन्दर होगा, लेकिन इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये क्या हो रहा है ? यह एक ऐसा विषय है जिसमें जितना कहा जाय, उतना थोड़ा है । विगत कई वर्षों से सरकार इस बात का प्रयत्न करती चली आ रही है कि गन्ने का विकास हो, गन्ने का क्षेत्र फल बढ़ा दिया जाय, प्रति एकड़ गन्ने की उपज बढ़ायी जाय, नयी-नयी खेती के द्वारा नये बीज के द्वारा गन्ने का उत्पादन बढ़ाया जाय, लेकिन परिणाम इतना दुखद रहा है और असफलता की सीमा इतनी अनिश्चित रही है कि कभी भी जो हमारा टारगेट था, उद्देश्य था वह पूरा नहीं हो पाया । श्रीमन्, इस संबंध में आप यह देखेंगे कि किस प्रकार चीनी का उत्पादन इस प्रदेश में घटा है । आठ साढ़े लाख टन से पौने छः लाख टन चीनी का उत्पादन घट कर पहुंच गया । इसका कारण क्या है ? गन्ने के क्षेत्रफल में कमी हो रही है और जितना प्रति एकड़ गन्ना पैदा होना चाहिये था वह नहीं हो रहा है । जब आज हम इस विधेयक को पास करें तो इस ओर भी हमें ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक होगा । इसके प्रधानतः दो तीन कारण हैं । मैं उन कारणों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । पहली बात तो यह है कि सरकार ने इस सम्बन्ध में केन डेवलपमेंट कौंसिल बना दी है, उसके चेयरमैन बना दिये हैं, असिस्टेंट केन डेवलपमेंट आफिसर बना दिये हैं, एक मशीनिरी तो खड़ी कर दी है, लेकिन केन डेवलमेंट में जो पैसा लगाना चाहिये वह पिछले अनुपात के दृष्टिकोण से बहुत ही कम लगाया है । इस सम्बन्ध में इंडियन टैरिफ बोर्ड ने सन् १९५० में सिफारिशें कीं । अगर वास्तव में गन्ने का विकास करना है, गन्ने की पैदावार बढ़ाना है तो जितना केन सेस से रुपया आता है उसका बहुत बड़ा अंश गन्ने के विकास में लगाना चाहिये । लेकिन गन्ने के विकास का इतिहास बतलाता है कि उसके बिल्कुल विपरीत नीति सरकार ने बनायी है । केन सेस इसीलिये लिया गया था कि वह रुपया गन्ने के विकास में खर्च किया जायगा । लेकिन अब रेवेन्यू अनिग मेथड बना लिया गया है । टैरिफ बोर्ड की रिपोर्ट में कहा गया है कि.....

श्री बनारसी दास--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्वाइंड आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं । श्री नारायण जी तिवारी जो कह रहे हैं वह बिल से संबंधित नहीं है, और वह आब्जेक्ट से बाहर जा रहे हैं । प्रश्न यह है कि मौजूदा बिल के आधार पर केन कमिश्नर को अधिकार दिया जाय या नहीं । गन्ने के उद्योग में उन्नति हुयी या अवनति हुयी, इससे बिल का कोई संबंध नहीं है । आप तमाम बिल पर बहस करना चाहते हैं जो इर्रेलेवेंट है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपका ध्यान इसके उद्देश्य और कारणों की ओर दिलाना चाहता हूं कि "वर्तमान उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ के अधीन गन्ना कमिश्नर को केवल किसी विशेष पेराई के मौसम के लिये चीनी फैक्टरी गन्ने की पूर्ति के निमित्त कोई क्षेत्र सुरक्षित अथवा अभ्यर्पित करने का अधिकार है, दीर्घकालीन आधार पर गन्ना क्षेत्रों के विकास के लिये योजना बनाने की सरकार को सक्षमता करने के हेतु क्षेत्रों के दीर्घकालीन सुरक्षण तथा अभ्यर्पण की व्यवस्था करने के प्रयोजन से यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।" श्रीमन्, मैं जो बोल रहा हूं वह केवल गन्ना क्षेत्र के विकास के लिये योजना बनाने की क्षमता पर बोल रहा हूं कि सरकार को अधिकार मिलना चाहिये या नहीं। सरकार का क्या पुराना रिकार्ड है। मै बिलकुल रेलेवेंट हूं और गन्ने के विकास के ऊपर बोल रहा हूं।

श्री बनारसी दास—उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न तो केवल यह है कि गन्ना कमिश्नर को किसी विशेष पेराई के मौसम के लिये अधिकार दिया जाय या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—साल भर के अन्दर की क्षमता के ऊपर विचार किया जा सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—उपाध्यक्ष महोदय, यू०पी० की सरकार को १९५० के १० करोड़ ७८ लाख के करीब रुपया मिला उसमें से केवल एक करोड़ ७२ लाख रुपया गन्ने के विकास में खर्च किया गया और सालों की जो रिपोर्ट है उसमें सरकार को करीब ३ करोड़ २३ लाख रुपया की १९५२ में आमदनी इससे हुई और उसमें से ३६ लाख ९३ हजार रुपया खर्च किया गया। श्रीमन्, मैं जानना चाहूंगा कि आखिर "मौसम" को "मौसमों" के करने से और "किया जाय" के स्थान पर "किये जायं" करने से कैसे गन्ने का विकास हो सकेगा जब तक आप रुपया नहीं देंगे। मेरे पास तीन साल की रिपोर्ट्स रखी हुयी हैं, उनमें लिखा हुआ है कि "ओइंगटू फाइनेंशियल स्ट्रिजेंसी" यह नहीं हो सका। इस समय आप देखें कि एस्टीमेट कमेटी के सामने कुछ गन्ने के मिल मालिकों ने गवाही दी।

श्री बनारसी दास—उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहता हूं और वह यह है कि यह विधेयक पहले पास हो चुका है। इसके उद्देश्य और कारणों के सम्बन्ध में पहले बहस हो चुकी है और अब कौंसिल से पारित होकर यह सदन में आया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—पास नहीं हुआ है। आप गलत कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—यह तो कौंसिल से आया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, आप यदि व्यवस्था दे दें तो बड़ी कृपा हो।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य बोल सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—रिपोर्ट्स में तो यह कहा गया कि उपज की औसत ४६० मन फी एकड़, लेकिन गोला मिल के जो नवाटिया साहब हैं उन्होंने बतलाया कि सन् १९३८ में गन्ने की औसत ४०० मन प्रति एकड़ थी वह घट कर ३०० मन प्रति एकड़ रह गई और हरदोई की लक्ष्मी शूगर मिल के प्रतिनिधि ने बतलाया कि उनके यहां भी २७८ मन प्रति एकड़ से घट कर २५० मन प्रति एकड़ रह गयी और पिपरैच मिल के मैनेजर ने बतलाया कि उनके यहां ३०० मन प्रति एकड़ से घट कर १८४ मन प्रति एकड़ रह गयी। इंडियन टैरिफ बोर्ड ने भी जो अपनी रिपोर्ट्स में औसत दी है यू०पी० भर की, उसमें बतलाया है कि यू०पी० में गन्ना विकास क्षेत्रों में उपज की औसत घट कर ३१७ मन फी एकड़ रह गयी है। तो श्रीमन् मैं यह जानना चाहूंगा कि गन्ना विकास के नाम पर जो यह क्षेत्र निर्धारित किया जाता है इससे क्या लाभ है कि बिना किसी प्रकार के साधनों के वह उस विकास क्षेत्र के अन्दर यह दावा करें कि हमने गन्ने की उपज बढ़ा ली।

इसके साथ ही साथ, श्रीमन्, आप यह भी देखेंगे कि इन डेवलपमेंट कौंसिलों में काम किस प्रकार से हो रहा है । उनके विधान में विकास क्षेत्र के चेयरमैनों को कोई अधिकार नहीं है कि वे नित्य प्रति के जो काम हैं सुपरवाइजर और कामदारों के उनको चेक कर सकें या उनकी रिपोर्ट ले सकें । दूसरी ओर जो विकास क्षेत्र हैं और जो बढ़ाये जा रहे हैं उनके बाहर जो क्षेत्र हैं उनका तो पूछना ही क्या है, जो थोड़ी बहुत मदद होती भी है वह केवल विकास क्षेत्रों के अन्दर ही होती है । तो आवश्यकता इस बात की थी कि केन डेवलपमेंट कौंसिल या जो गन्ना विकास क्षेत्र हैं इनकी परिधि को जहां तक सीमा है वहां तक बढ़ाया जाता । इस सम्बन्ध में इस सदन की एस्टीमेट्स कमेटी ने भी एक सिफारिश की है । आज जब माननीय मंत्री जी गन्ना विकास के बारे में बात कर रहे हैं तो वह हमको बतलाते कि इस भवन की एस्टीमेट्स कमेटी ने गन्ना विकास के लिये जो सुझाव दिये हैं उसके बारे में क्या किया गया । इसमें जो अनुसंधान होते हैं उनका जो नतीजा होता है उसको काश्तकारों तक पहुंचाने का क्या प्रयत्न किया गया । इस सम्बन्ध में एस्टीमेट्स कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसकी में दो एक लाइनें पढ़ना चाहता हूं, जो इस प्रकार हैं ---

"गन्ना विकास का अर्थ यह होना चाहिये कि उपज प्रति एकड़ बढ़े तथा मिलों का सुरक्षित क्षेत्रफल कम होता जाय । परन्तु गन्ना मिलों के प्रतिनिधियों ने बतलाया कि किसी मिल का सुरक्षित क्षेत्रफल कम नहीं हुआ । जो अनुसंधान फार्मों पर किये जा रहे हैं उनको किसानों तक पहुंचाने में इतना समय लग जाता है कि उनके खेतों तक पहुंचने में उनकी मौलिकता ही नष्ट हो जाती है । इस प्रश्न को काफी गहराई में देखने के पश्चात् यह आवश्यक प्रतीत होता है कि अनुसंधान तथा विकास कार्य में अधिक से अधिक सहयोग तथा सामन्यजस्य होने की आवश्यकता है ।"

तो श्रीमन् गन्ना विकास के सम्बन्ध में इस भवन की एस्टीमेट्स कमेटी की इतनी महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं तो बजाय इसके कि वह इन सिफारिशों को कार्यान्वित करें मौसम को मौसमों कर देने का बिल इस सदन में पास कर दिया जाय और इस मृग मरीचिका में हमको भुलाना चाहते हैं कि हम गन्ना क्षेत्र के विकास के लिये, उत्पादन को बढ़ाने के लिये बड़ा प्रयत्न कर रहे हैं । माननीय मंत्री जी को परेशानी हो रही है कि मैं बड़ा समय ले रहा हूं । मैं तो चाहता यह हूं कि इसमें और अधिक समय ले सकूं और यह भी बतला सकूं कि आज अगर गन्ना विकास इस प्रदेश में नहीं हो पा रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज गन्ने की कीमतें यू० पी० और बिहार शूगर बोर्ड की सिफारिश के बाद भी केवल १ रु० ७ आ० मन है । जब तक गन्ने के उत्पादन में जितना मूल्य लगता है उसके हिसाब से गन्ने के दाम नहीं बढ़ाये जायेंगे तब तक इस प्रदेश में क्षेत्रों के जरिये जितना और मौसम' का 'मौसमों' करने से गन्ने का विकास होने वाला नहीं है । आवश्यकता इस बात की है कि जैसे यू०पी० और बिहार शुगर बोर्ड ने माननीय पंत जी के सभापतित्व में एक मत से सिफारिश की थी कि एक रुपया बारह आना मन अविलम्ब इसी सीजन से गन्ने का दाम किया जाय तब गन्ने के विकास में सफलता मिल सकती है । आवश्यकता इस बात की है कि केवल १८ चीनी मिलों से यह कहा गया है कि वह मुनाफा बांटे । तो केवल १८ मिल ही नहीं, बल्कि जितनी मिलें हैं, ८६ वह केन कोआपरेटिव फेडरेशन की सिफारिश के अनुसार ९० प्रतिशत मुनाफा काश्तकारों को बांटे जब काश्तकारों को मुनाफे में हिस्सा मिलेगा, जब एक रुपया बारह आना मन कीमत उनको मिलेगी तभी गन्ने के विकास की तरफ किसान की रुचि होगी । नहीं तो 'मौसम' को 'मौसमों' करने से किसी प्रकार गन्ने के विकास में सफलता नहीं मिल सकती है । मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी कम से कम इसमें जो जवाब देने के लिये खड़े होंगे तो कम से कम इतना आश्वासन इस सदन को और इस प्रदेश के गन्ना पैदा करने वालों को अवश्य देंगे कि हमारी प्रदेशीय सरकार १ रुपया १२ आना मन दाम कराने में, तथा सभी गन्ना पैदा करने वाले काश्तकारों को मुनाफा दिलाने में केन्द्रीय सरकार को राजी करेगी ।

श्री उपाध्यक्ष--(श्री गेंदा सिंहसे) माननीय सदस्य, इस वर्तमान विधेयक के संकीर्ण दायरे का विचार करते हुए ही अपना भाषण करेंगे ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं असल में चाहता तो यह हूं कि यदि आपकी इजाजत हो तो मैं एक ऐसा संशोधन पेश करूं कि यह विधेयक सेलेक्ट कमेटी को सिपुर्द किया जाय ।

इसमें संदेह नहीं कि यह विधेयक सिर्फ लफ्जों का है । लेकिन इसका कितना प्रभाव पड़ता है वह इस से अन्दाज लगाया जा सकता है कि हमारे प्रदेश में १५ लाख वह व्यक्ति हैं जो इन गन्ना सोसाइटियों के सदस्य हैं और वह अपना गन्ना देने के लिये उत्तरादायी ठहराते जाते हैं कि वह मिलों को गन्ना सप्लाई करें। करीब २१–२२ करोड़ मन प्रति वर्ष गन्ना मिलों को सप्लाई किया जाता है और इस २१–२२ करोड़ मन गन्ना देने के लिये यह विधेयक जो है वह एक प्रकार से १५ लाख व्यक्तियों को मजबूर करता है किवे अपना गन्ना उन्हीं फैक्टरियों को दें, जिन फैक्टरियों के लिये सरकार ने उस इलाके को रिजर्व कर दिया है । तो यह मैंने आपसे निवेदन इसलिये किया कि इस विधेयक की अहमियत को मैं आपके सामने रख सकूं मैं वैसे शिव जी की छोटी मूर्ति और बड़ी मूर्ति, किसी में भी कोई भेद करने की जरूरत नहीं समझता, लेकिन मुझे इस बात की थोड़ी सी तकलीफ हुयी कि इस समय माननीय बनारसीदास जी को छोड़ कर कोई सरकार की तरफ से इस महकमे की अहमियत को समझने के लिये भी यहां पर बैठा नहीं है। यों तो उनकी जिम्मेदारी मैं समझता हूं और उनको उस जिम्मेदारी से बरी नहीं समझता जिसके लिये सरकार जिम्मेदार है । लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि किसी मंत्रिमंडल के ऐसे सदस्य को भी इस विधेयक पर विचार विनिमय होते हुये रहना चाहिये था जो इसको सुनकर और उसको अमल में ले आने की कोशिश करता । मैं नहीं जानता हूं कि मंत्रिमंडल की जो महत्वपूर्ण बैठकें हुआ करती हैं उनमें बनारसीदास जी सम्मिलित होते हैं या नहीं । तो यह मामला कुछ इतना महत्वपूर्ण है कि उन महानुभावों में से किसी का रहना आवश्यक मालूम होता है ।

इस विधेयक में मेरे पूर्व के वक्ताओं ने जो भाषण किये हैं मैं उनको नहीं सुन सका हूं मैं उनसे क्षमा चाहूंगा यदि उन बातों को ही दोहराऊं मैं अभी तक गैरहाजिर था। इसमें यह बात हो सकती है कि मैं फिर उन बातों को कहूं । जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि इस विधेयक से कितने ही लाख लोगों का सम्बन्ध है । चीनी उत्पादन करने वालों का सम्बन्ध है और करीब एक लाख आदमी से ऊपर जो शुगर फैक्टरी में काम करते हैं उनका भी इससे सम्बन्ध है । मैं यह चाहता हूं कि मैं पहले इस बात को निवेदन कर दूं कि गन्ने की खेती को इस प्रकार से करें कि जिसमें शुगर फैक्टरी को कम से कम एक उचित मात्रा में गन्ना मिल सके और अगर उतना शुगर फैक्टरी को नहीं मिलता है तो फिर उन लोगों को जो फैक्टरी से सम्बन्ध रखने वाले हैं उन सबको नुकसान पहुंचता है । मैं सोचता हूं कि सरकार जो यह विधेयक लायी होगी वह इसी उद्देश्य से लायी होगी कि गन्ना उचित मात्रा में पैदा हो सके और उसकी पैदावार मिलों को मिल सके ताकि मिल निश्चित दिनों तक अपने सीजन को चला सकें । मैं ऐसा समझता हूं कि इस प्रकार से सरकार का सोचना मुनासिब भी है । यहां बहुत से भाई बैठे हुये हैं उन भाइयों ने बराबर इस बात पर जोर दिया है कि किसी प्रकार से कास्ट आफ प्रोडेक्शन जो चीनी का है वह घटना चाहिये । चीनी का कास्ट आफ प्रोडेक्शन तभी घट सकता है जब मिलों में उत्पादन अधिक हो और उत्पादन तभी हो सकता है जब कच्चा माल जो गन्ना है वह उचित मात्रा में फैक्ट्री को मिल सके। यह बात मान ली गयी है कि हमारे प्रदेश में काफी फैक्ट्री ऐसी हैं जिनको जितना गन्ना मिलना चाहिये उतना नहीं मिलता है और इसका परिणाम यह होता है कि उनकी चीनी पर उत्पादन का अधिक खर्चा बैठ जाता है । इसी वजह से चीनी की कीमत अधिक रखी जाती है और चीनी को अधिक कीमत पर बेची जाय यह बात मिलमालिकों की तरफ से कही जाती है । हम भी इस बात से सोलह आने इन्कार नहीं कर सकते हैं । जब उत्पादन कम होगा तो कास्ट आफ प्रोडेक्शन ज्यादा हो जायगा और जब कास्ट आफ प्रोडेक्शन ज्यादा होगा तो ऐसी हालत में यह बात निश्चित है कि चीनी मंहगी बेची जायगी और फिर उसका बोझ कंज्यूमर्स पर जाकर पड़ेगा । तो हम गन्ने के बोने वालों के तरफ से यह बात कह सकते हैं कि हम अपना माल मंहगा नहीं बेचना चाहते हैं । हम चाहते हैं कि चीनी

लोगों को ऐसी कीमत पर पहुंचायी जाय, बेची जाय कि जिस कीमत पर हम दूसरे देशों के बाजार के भाव में मुकाबिले में आ सकें यह आवश्यक है। सरकार का यह सोचना भी बहुत उचित है लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि क्या यह जो विधेयक आया है इस विधेयक की मंशा से एक वर्ष के बजाय कुछ अधिक वर्षों के लिये गन्ने का क्षेत्र रिजर्व कर दिये जाने से उचित मात्रा में गन्ना फैक्टरीज को मिल जायगा। मैं बनारसीदास जी से यह कहना चाहता हूं कि वह जरा इस बात पर गौर करें कि इसके लिये और क्या तरीके हो सकते हैं कि गन्ने की उपज बढ़े, इस बात पर सोचने की जरूरत है। इस बात को सोचने में सरकार असमर्थ रही है। पिछले कई वर्षों के अन्दर गन्ने की उपज बढ़ाने में वह असफल रही है। कोआपरेटिव यूनियन के जरिये या सरकार का जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उनके जरिये या किसी और भी जरिये से हम गन्ने की उपज को बढ़ाने में जितनी बढ़नी चाहिये हम उतनी नहीं बढ़ा पाये हैं। अब गन्ने की उपज बढ़ाने के लिये मैं बहुत सस्ता नुस्खा सरकार के सामने पेश करना चाहता हूं। एक शुगर इंडस्ट्री इंक्वायरी कमेटी १९५१ में स्वामीनाथन साहब के सभापतित्व में बैठी थी। उन्होंने सर्वसम्मति से यह सिफारिश की थी कि कम से कम ५०० ट्यूबवेल्स, पूर्वी हिस्से में लगा दिये जायं, जिस हिस्से में फैक्टरीज हैं इस इलाके में लगा दिये जायं और भरसक यह कोशिश की जाय कि गन्ने की खेती करने वालों को पानी की दिक्कत न हो पश्चिमी क्षेत्र में भी काफी स्थान ऐसे हैं जहां पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है। इसलिये उस क्षेत्र में भी गन्ने को पर्याप्त पानी मिल सके ऐसा उपाय वहां पर भी करने की सिफारिश थी। सरकार से यह जानना चाहूंगा कि उसने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की और क्या यह मुनासिब वक्त नहीं है कि सरकार हमको इसके लिये कोई जवाब दे। जब सरकार हमें मजबूर कर रही है कि वह किसी मिल के साथ ईख बोने का गठबंधन करा देगी, जबरदस्ती उनको बांध देगी कि काश्तकार किसी भी हालत में एक फैक्टरी के अलावा दूसरी फैक्टरी को गन्ना नहीं दे सकता है। क्या हमें सरकार से यह पूंछने का अधिकार नहीं है कि सरकार काश्तकार के किस लाभ के लिये, उसकी किस सुविधा के लिये, किस बुनियाद पर, ऐसा करने जा रही है।

क्या हम सरकार से इस बात को नहीं कह सकते कि पिछले वर्ष सरकार ने कुछ आश्वासन दिलाया था, और वह आश्वासन उन्होंने दिलाया था जो कि आज हमारे मुख्य मंत्री नहीं हैं, आजकल केन्द्र में हैं, माननीय पंत जी उन्होंने काश्तकारों को एक पवित्र आश्वासन दिया था, उस आश्वासन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी। उस आश्वासन में क्या यह बात नहीं कही गयी थी कि गन्ना बोने वालों को जो कुछ भी चीनी की बढ़ी हुयी कीमत मिल मालिक वसूल कर रहे हैं, उसमें से हिस्सा दिया जायगा और इसी आश्वासन पर पश्चिमी कारखाने वालों ने ४ आना मन काश्तकारों को भी दिया। क्या इसकी चर्चा अनेक मर्तबा इस विधान सभा में नहीं हुयी? इस पर सरकार ने क्या किया? क्या उस उचित हक को दिलाने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की? कितने मिल मालिकों को समझाने बुझाने की कोशिश की कि वह दे दे। हम यह मानते हैं कि केन्द्रीय सरकार ने जो फार्मूला बनाया वह बहुत ही भ्रमपूर्ण है। मैं राज्य सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि उसने केन्द्रीय सरकार को किस प्रकार से लिखा, क्यों त्रुटिपूर्ण ढंग से उसको लिखा गया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं और उसमें सरकार को इंकार करने का साहस भी नहीं हो सकता कि उसने हमको कुछ और आश्वासन दिया और केन्द्रीय सरकार को कुछ और कहा। केन्द्रीय सरकार की २९ अक्तूबर ५४ को जो मीटिंग हुयी उसमें इस सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधि गये थे उन्होंने १-८ आना के दर की ही मांग की। उन्होंने कहा कि कम से कम १ रु० ८ आना कीमत कर दिया जाना चाहिये जबकि सम्मिलित शुगर केन बोर्ड बिहार और उत्तर प्रदेश की बैठक में सर्वसम्मति से यह पास किया गया था कि कीमत किसी प्रकार से भी १ रु० १२ आना से कम न होनी चाहिये। मैं यह भी कह सकता हूं कि शुगर कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग की कार्यवाही किसी भी प्रकार से इस विधान सभा के लिये कांफीडेंशल नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेशीय सरकार के प्रतिनिधि ने वहां जाकर ऐसी बात क्यों कही?

[श्री गेंदासिंह]

जो कुछ भी फैसला शुगर कंट्रोल बोर्ड का हुआ था उसके विरुद्ध उन्होंने क्यों बातें की ? क्या वह कोई मर्यादा नहीं है ? उस मर्यादा का उल्लंघन सरकार के प्रतिनिधियों ने क्यों किया ? दूसरी बात यह है कि जो फार्मूला बनाया गया है उसमें स्पष्ट लिखा है और फार्मूले में प्राफिट शेयरिंग पर जेनरल एग्रीमेंट था। जब उत्तर प्रदेश की सरकार का जेनरल एग्रीमेन्ट था तो उसके प्रतिनिधियों ने इस बात की जिम्मेदारी क्यों नहीं समझी कि उन्होंने पिछले वर्ष राज्य के १५ लाख किसानों को कुछ आश्वासन भी दिया है और उन्हीं आश्वासन की वजह से उतना बड़ा ईख उत्पादकों का आंदोलन रोका गया था और उसके बाद चार आने मन पश्चिम के कारखानों ने दिया भी था, फिर क्या माननीय उद्योग मंत्री जी मेहरबानी करके बतलायेंगे कि यह फार्मूला जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार का जेनरल एग्रीमेंट था, उस जेनरल एग्रीमेंट के आधार पर आज उत्तर प्रदेश के किसानों को कितने पैसे मिलेंगे ? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार कम से कम अपने आश्वासनों को और अपनी कमेटियों की रिपोर्ट को जो कि बिलकुल एकमत से आवें, उनकी थोड़ी प्रतिष्ठा करे, अगर प्रतिष्ठा नहीं करेगी तो मैं नहीं समझता हूं कि किसी सरकार के लिये यह शोभा की बात है। एक वर्ष के बजाय दो वर्ष या ५ वर्ष के लिये क्यों बांध देने से मिल मालिकों के साथ चीनी का उत्पादन नहीं बढ़ सकता। इसीलिये मैं कहता हूं कि इस मामले में बहुत विचार विनिमय की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मामूली दो लफ्जों का यह अमेंडमेंट है कि एक वर्ष के बजाय एक वर्ष या कुछ और ज्यादा वर्षों के लिये क्षेत्रों को रिजर्व कर दिया जाय। हम अपने एक्जीक्यूटिव को इसमें बहुत अधिकार दे रहे हैं। बहुत से काम ऐसे हो सकते हैं जो कि एक्जीक्यूटिव को अधिकार दिये बिना नहीं चल सकते, इसलिये देना पड़ता है। लेकिन विधान सभा को कम से कम कुछ जानने का हक है और विधान सभा को कम से कम इन सारी बातों पर रोशनी डालने का हक है। आखिर यह किस लिये किया जा रहा है ? दुर्भाग्यवश मैं माननीय उद्योग मंत्री जी का पहला भाषण नहीं सुन सका। जो बिल का उद्देश्य है वह हमारे सामने है और वह जो कुछ भी है उससे हम यही समझते हैं कि यह गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिये, डेवलपमेंट के कामों में मदद देने के लिये, मिल वालों को यह विश्वास दिलाने के लिये कि उनको गन्ना ज्यादा तादाद में मिलेगा, काश्तकार अपना गन्ना दूसरी जगह नहीं ले जायेगा, अगर वह दूसरी जगह ले जायगा तो वह सजा पाने का भागी होगा, इन्हीं सब बातों के लिये तो यह विधेयक लाया गया है।

पहिले तो एक वर्ष के अनुभव के आधार पर हम यह कह सकते थे कि फलां गांव या फलां इलाके को निकाल कर फलां फैक्टरी में भेज दो। परन्तु इस नये कानून के आधार पर बजाय एक वर्ष के ५ वर्ष, १० वर्ष या १५ वर्ष के लिये, क्योंकि कोई सीमा नहीं है, उतने दिन के लिये किसी फैक्टरी के साथ बंध जायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, फैक्टरियों के लिये तो यह सब किया जा रहा है, लेकिन क्या सरकार ने इस विधेयक में कोई ऐसी गुंजाइश रखी है कि जो फैक्टरी ऐसी हैं जो गन्ने की कीमत नहीं अदा कर रही हैं, सरकारी सेस भी नहीं अदा कर रही हैं, और वे चीनी बेंच बेंच कर मौज उड़ा रही हैं उनका क्या होगा ? उनके लिये सरकार ने क्या आश्वासन दिया है कि वे इसी तरह से मौज उड़ाते रहें और एक वर्ष के बजाय ५ वर्ष तक हम उनके लिये एरिया रिजर्व कर दें। ऐसी फैक्टरीज के लिये एक वर्ष के बजाय ५ वर्ष तक के लिये रिजर्व कर देने के लिये हम तैयार नहीं हैं बल्कि उसे कुछ भी न देने के लिये भी सोचना होगा। यद्यपि यह प्रश्न बहुत उलझन का है और ५ साल के लिये रिजर्व करके यहां के काश्तकारों की मुसीबत बढ़ाने के लिये यह कानून बनाया जाय मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जरा इस बात पर गौर करें कि एक साल के लिये जो रिजर्वेशन होता है उसमें सितम्बर या अगस्त के महीने में एक साल के बाद हाथ पैर मार सकते हैं, अगर एक फैक्टरी के तालुक्कात में फर्क पड़ता है, फैक्टरी वाले शरारत करते हैं, गन्ने की कीमत नहीं देते, या कीमत में कोई कटौती करते हैं, या खरीद बिक्री में तंग करते हैं तो ऐसी हालत में अख्तियार है कि ईख उत्पादक एक साल के बाद दरख्वास्त दें एक्जीक्यूटिव अधिकारी को जिस को रिजर्वेशन की पावर

दी जा रही है उसके सामने वह अपनी बात रख सकते हैं और अपने इलाके को बदलवा सकते हैं लेकिन अगर इस अवधि को एक साल से ज्यादा कर दिया गया तो लोगों को यह अपने मामलात ठीक कराने का मौका नहीं रहेगा और हमारे काश्तकार ५ साल के लिये बंध जायेंगे और मिलमालिकों की सारी गैरकानूनी मनमानी जारी रहेगी। यह एक ऐसी बात होगी जिससे काश्तकारों के हितों को ठेस लगेगी और जब ऐसा होता है तो उसके साथ-साथ चीनी के व्यापार, उद्योग, उपज सब को ठेस लगती है। ऐसा होने से हमारी अर्थ व्यवस्था बिगड़ती है और वहां के करीब के लोग जो गन्ना उपजाते हैं उनकी बड़ी मुसीबत हो जाती है। क्या सरकार ने इस बिल में इन तमाम बातों पर गौर किया है और क्या उसने यह सब बातें सोचकर ऐसा किया है ? क्या वह समझती है कि क्या मुसीबत इस से किसानों पर आने वाली है ? मैं समझता हूं कि सरकार ने इन बातों पर विचार नहीं किया। मैं इस का विरोधी नहीं हूं। मैं नहीं कहता कि रिजर्वेशन का कानून उठा दिया जाय, मैं कहता हूं कि यह रखा जाय लेकिन इस का जो मकसद है कि किसी मिल में किसी रकबे को क्यों रिजर्व किया जाय इस पर भी सोचने की बात है। हमें यह बात तो अच्छी लगती है कि हम अपना सौदा तैयार करें और उसको खुले बाजार में बेंच लें। इस वक्त सारे भारतवर्ष में सेस फेयर प्रथा जारी है और हमें सौदा बेंचने का अधिकार स्वतंत्रता पूर्वक होना चाहिये। जहां सरकार हमारा यह अधिकार रिजर्वेशन करके छीन रही है और कह रही है कि हम जो सौदा इलाके में पैदा करेंगे वह उसी कारखाने में बेंचेंगे जिसके लिये वह हुक्म देगी यहां सरकार अपने तीन चार साल क पिछले काम से सिद्ध करती है कि उसने बड़ी अकर्मण्यता से काम किया है कारखाने वालों से इस कानून को मनवाने में। मैं कहूंगा कि जरा फैक्टरीज की तरफ आंख उठाकर माननीय उद्योग मंत्री भी देखें कि अब तक लाखों रुपया कीमत गन्ने की अदा नहीं की गई है उनकी चीनी कुर्क है। कुछ ऐसे अक्लमंद वहां कलेक्टर भी हैं जिन्होंने समझा कि चीनी को कुर्क कर के ही हम भला काम करेंगे। उनकी अक्ल में जो बात आती है वही करेंगे, हमारे समझाने से तो समझते नहीं, उनको तो सरकार ही समझा सकती है लेकिन चीनी के कुर्क होने के बावजूद गन्ने की कीमत नहीं मिली। अच्छा होता अगर इस मौके पर माननीय उद्योग मंत्री जी इस वक्त सदन को बताते कि कितना रुपया किसानों का अभी बाकी है मिल मालिकों पर तथा सरकार का कितना सेस बाकी है, सेस के सम्बन्ध में तो कहा जा सकता है कि सरकार मजबूत है वह वसूल कर सकती है या कोई खास रिश्ता है जिसके कारण माफ किया जा सकता है। लेकिन गन्ने का दाम तो माफ करने का सवाल नहीं है। गन्ने का दाम तो उस कानून के मुताबिक जिसमें यह संशोधन करने जा रहे हैं २४ घंटे के बाद ड्यू हो जाता है काश्तकारों का मिल मालिकान के ऊपर और २४ घंटे के बाद उसको जरूर कीमत अदा कर देनी चाहिये। लेकिन २४ घंटे के बाद कुछ फैक्टरियां अदा करती हैं बाकी नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आम-तौर से इस कानून का मतलब आजकल मिल मालिकान यह निकालने लगे हैं कि २४ घंटे के बाद अब ड्यू नहीं होता है १५ दिन के बाद ड्यू होगा। हमने जो पिछले वर्ष संशोधन किया था या जो अधिनियम पास किया था उसमें यह कर दिया था कि १५ दिन के बाद सूद लगना शुरू होगा और इससे फैक्टरी वाले यह समझ रहे हैं कि १५ दिन बाद ड्यू होगा। यह तो आम बात है जिसे गवर्नमेंट को दूर करना चाहिये लेकिन मैं आम बात को छोड़कर कुछ खास बातों की ओर भी ध्यान दिलाऊंगा और इसी कानून के भीतर २४ घंटे में गन्ने का दाम ड्यू हो जाता है और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी हो जाती है। गन्ना का दाम दिलाने की।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य ऐसे विषयों को इसमें ला रहे हैं, जो शायद इस बिल के अन्दर नहीं आ सकते।

श्री गेंदासिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि हमसे यह कहा जा रहा है कि एक वर्ष के बजाय ५ वर्ष के लिये किसी के साथ तुम्हारा रिश्ता कायम कर देंगे। अब उस रिश्ते की शर्तों पर विचार न करना जरा उचित नहीं होगा। वैसे मैं ज्यादा वक्त लेने

[श्री गेंदासिंह]

की इच्छा नहीं रखता । यह इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिस पर उत्तर प्रदेश की सरकार का भविष्य बहुत कुछ निर्भर करता है और उत्तर प्रदेश की सरकार उसके साथ उपेक्षा का बर्ताव कर रही है । अगर कोई ऐसा एक दिन रखा जाय जिस दिन इस विषय पर विचार हो सके और अगर हमें आश्वासन दिया जाय कि इसकी कीमत के सिलसिले में, जो खामियां हैं उसके सिलसिले में और काश्तकारों को जो तकलीफें हैं उनके सिलसिले में विचार करने के लिये एक दिन दिया जायगा तो मैं यहां इस विवाद को छोड़ दूंगा ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--आप बजट पर बहस कर लीजियेगा । बजट में आ जायगा ।

श्री गेंदासिंह--हमारे डिप्टी लीडर साहब फर्मा रहे हैं कि बजट आ रहा है और हम उसी पर बातचीत कर लें, लेकिन मैं उनसे भी यहां डिफर करता हूं और मैं उनसे डिफर करने की इजाजत चाहूंगा । परन्तु माननीय उद्योग मंत्री जी इसको इस वक्त सेलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये तैयार हो जायं तो मुझको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है ।

कुछ सदस्य--यह धमकी दे रहे हैं आप ।

श्री गेंदासिंह--अगर नहीं तो माननीय सदस्य मुझको सुनने की तकलीफ गवारा करें । मैं तो बुद्धिग्राह्य बात करता हूं । जब वह बुद्धि में नहीं घुसती माननीय सदस्यों के तो बड़ा दुख: होता है । लोग कहते हैं कि मैं धमकी दे रहा हूं । उपाध्यक्ष महोदय, मैंने हाथ जोड़ना पिछले साल से शुरू किया है और सरकार के सामने हाथ जोड़ने में मैंने कुछ भी नहीं उठा रखा ।

एक सदस्य--हाथ जोड़कर भी तो धमकी दे सकते हैं ।

श्री गेंदासिंह--अब अगर हाथ जोड़ने को कुछ लोग धमकी समझने लगें तो मैं नहीं जानता कि डंडा दिखाने को क्या समझेंगे । अगर इस तरह की बुद्धि है तो बलिहारी है और मैं उनको समझा नहीं सकता । मैं किसी के मस्तिष्क में तो घुस नहीं सकता हूं । इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग भी कुछ कह रहे हैं इस समय या तो उनका कुछ दूसरा स्वार्थ है और नहीं तो गन्ने की बात ये समझते ही नहीं । दो में से एक बात है । दोनों में से एक बात हो सकती है । मैं ऐसा समझता हूं कि कुछ दोस्तों को इस मामले में कोर कहीं दबती है । ६६ मिलमालिक हमारे सूबे के हैं । मैं कभी-कभी कहता हूं कि वे हमारे ऊपर शासन करते हैं जब कभी मैं अपने सरकारी पक्ष के भाइयों के खिलाफ कोई बात कहता हूं तब तो वे उसे बड़े प्रेम से सुन लेते हैं लेकिन जब मिलमालिकों के खिलाफ कोई बात करता हूं तो प्रेम से सुनने के बजाय उल्टी सीधी सुनाते हैं । तो इससे ऐसा लगता है कि कहीं विधान सभा में वे हमारे ऊपर दबाव तो नहीं डाल रहे हैं । मैं इस बात को नहीं मानता । एक प्रश्न और विचारणीय है सरकार ने जो तीन आने का केन सेस लगाया है उसका क्या प्रयोजन है । केन्द्रीय सरकार द्वारा टैरिफ बोर्ड बैठाया गया और उसने कहा कि दुनियां के किसी कानून में भी, कच्चे माल पर सेस लगाने की प्रथा नहीं है । वह तीन आने मन केन सेस गन्ना बोनेवालों पर लग रहा है या कंज्यूमर पर इसमें मैं नहीं जाता लेकिन चीनी की कीमत में तीन आने मन वह सेस जोड़ लिया जाता है । तो फिर वह तीन आने मन का सेस गन्ना की उपज बढ़ाने पर क्यों खर्च नहीं किया जाता और अगर नहीं किया जाता है तो क्या यह कारण है कि परिणामस्वरूप गन्ने का काश्तकार अपनी खेती कम करता है । तीन आने मन के हिसाब से ४ करोड़ रुपये की रकम होती है । अगर यह ४ करोड़ रुपये की रकम ६६ शुगर मिल्स के इलाके में सिंचाई और यातायात की सुविधा देने में खर्च किया जाता तो आज शुगर इंडस्ट्री को बहुत आगे बढ़ाया जा सकता था और जो खतरा बम्बई और मैसूर की तरफ से दिखायी देता है, जो वहां के लोग यह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार की शुगर फैक्टरीज को इंड्यूस किया जाय, वे अपनी फैक्टरीज

यहां से उठा कर ले जायं तो वह खतरा पैदा न होता हम अच्छी वेरायटी का गन्ना दे सकते थे। अगर ऊंची पैदावार होती तो काश्तकार को ज्यादा लाभ होता और फिर काश्तकार अधिक उत्पादन करने की तरफ जाता और अगर अधिक उत्पादन करता तो कुदरती तौर पर सीजन बढ़ा होता और सीजन बढ़ा होने से चीनी का कास्ट आफ प्रोडक्शन कम होता और उससे चीनी की कीमत में कमी होती। लेकिन हो रहा है बिलकुल उसका उल्टा फिर मैं सरकार से बहुत अदब से इस बात की गुजारिश करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके केन सेस की रकम डेवलपमेंट के काम में खर्च करके सरकार इस बात का प्रयत्न करे कि गन्ने की पैदावार बढ़ा कर सीजन को ज्यादा किया जाय इस प्रकार जो सरकार सोचती है वही हम सोचते, यह मान लेना चाहिये। इसमें कोई मतभेद की गुंजाइश नहीं। ज्यादा गन्ना जरूर पहुंचाया जाय लेकिन यह भी सोचना चाहिये कि काश्तकार ज्यादा गन्ना कैसे पैदा कर सकेगा। अगर काश्तकार रकबा बढ़ा कर ज्यादा गन्ना पैदा करता है तो फिर उस पर खर्च ज्यादा बैठता है और अगर हम पर एकड़ ईल्ड नहीं बढ़ा सके तो सरकार की मंशा पूरा नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि माननीय उद्योग मंत्री इसके भीतर जाने की कोशिश करेंगे और कम से कम यह तो हो सकता है कि सारी बातों को देखने के बाद वे एक ठोस नीति निर्धारित करेंगे गन्ना पैदा करने में और यह जो खतरा दिखायी देता है कि हमारी फैक्टरीज उठ कर दक्षिण भारत में जा सकती है, मैसूर और बम्बई की तरफ, वह दूर हो जायगा मैसूर में फैक्टरीज जब साल में १० महीने चल सकती है तो उसका कास्ट आफ प्रोडक्शन कुदरती तौर पर कम पड़ता है। हमारी फैक्टरियां इस वक्त ८० दिन, ९० दिन, १०० दिन चलती हैं तो ८० दिन, ९० दिन या १०० दिन चलने वाली फैक्टरी और साल में १० महीने चलने वाली फैक्टरी की कास्ट आफ प्रोडक्शन में अंतर होगा। तो ऐसी हालत में क्या सरकार इस बात को सोच रही है कि सीजन का समय कुछ ज्यादा लम्बा किया जाय ताकि चीनी की कीमत कास्ट आफ प्रोडक्शन कम करके कुछ नीची की जा सके। क्या सरकार ने इसके लिये कुछ सोचा और किया है?

दो डेवलेपमेंट कांफ्रेंसेज हुयीं हमारे सूबे में माननीय मुख्य मंत्री जी की सदारत में—एक नैनीताल में हुयी और दूसरी हुई सितम्बर के महीने में लखनऊ में। दोनों कांफ्रेंसों में हमने बड़े लम्बे-लम्बे प्रोग्राम बनाये। हमने उन कांफ्रेंसेज में यह फैसला किया कि जितनी फैक्टरियों के मालिक हैं उन सभी को अपने इलाके में कितने ट्यूबवेल्स बनाने हैं ताकि सबको पानी पहुंच सके। गन्ने की खेती के लिये और यातायात की सुविधा के लिये कितनी सड़कें बनाने की जरूरत है इसकी एक योजना बना कर सरकार के सामने पेश करें। मुख्य मंत्री जी ने इस बात को कहा कि इसमें जो भी व्यय होगा उसका ५० प्रतिशत सरकार देगी और ५० प्रतिशत शुगर फैक्टरियां खर्च करें। मैं कहता हूं माननीय उद्योग मंत्री जी से कि वह यह जानने की चेष्टा तो करें कि हुआ क्या? उस कांफ्रेंस में जो फैसला हुआ उस पर क्या कार्यवाही हुयी? फैक्टरी वाले तैयार नहीं हैं। वह पैसा खर्च करने के लिये तैयार नहीं हैं। अगर वह हमारे और उनके फायदे के लिये तैयार नहीं हैं तो क्यों हमें उद्योग मंत्री जी उनके गले में बांध रहे हैं? अगर वह तैयार हों उपज को बढ़ाने के लिये, खर्च करने के लिये, हमारी बहबूदी के लिये और अपनी बहबूदी के लिये तो हम उनके साथ हैं। एक वर्ष क्या पांच वर्ष, और पांच वर्ष ही नहीं और ज्यादा हम उनके साथ रहेंगे लेकिन जब माननीय मुख्य मंत्री के कहने के बाद भी वह इस बात को पूरा नहीं करते हैं तो हमें क्या जरूरत है, कुछ एक दो फैक्टरियां ऐसी निकली हैं कि जिन्होंने कुछ प्रोग्राम बनाया और कुछ दूर करने को सोचा लेकिन और सारी फैक्टरियां खामोश हैं। कुछ भी कहने को और करने को तैयार नहीं हैं। तो जब वे करने को तैयार नहीं हैं तो आप हमें उनके साथ क्यों बांधने की तैयारी कर रहे हैं। इन सारी बातों पर जरा विस्तार से बैठ करके, इत्मिनान से विचार कर लेना चाहिये। अगर हमारी सरकार इस पर विचार करने के लिये नहीं तैयार है तो फिर हम तो जो भुगत रहे हैं, भुगत ही रहे हैं लेकिन मैं सरकार के लिये कह सकता हूं कि उसे भी इसके परिणामस्वरूप हानि उठानी पड़ेगी। दूसरी बातों की चर्चा मैं नहीं करूंगा। दूसरे मौके पर, जैसा कि हमारे रामनारायण जी ने भी सलाह दी है मुझको, उस मौके पर मैं और बातों की चर्चा करूंगा लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि इन दो, तीन बातों पर ठंडे दिल

[श्री गेंदासिंह]

से विचार करने के लिये कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा । सरकार इस बात को स्वीकार करले कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी को चला जाय । सेलेक्ट कमेटी में हम सारे शुगर फैक्टरी कंट्रोल ऐक्ट को नहीं बदलेंगे । केवल उन बातों पर विचार करने के लिये, जिन्हें अभी कहा है, हम सेलेक्ट कमेटी में जा सकते हैं और उसमें सरकार को भी अवसर मिल सकेगा । सरकार तो ऐसी संस्था है कि जिस पर सबका हक है । सरकार शुगर फैक्टरियों को कह सकती है कि हम तो तुम्हारे लिये एक बरस की नहीं पांच बरस की व्यवस्था करने जा रहे थे लेकिन जिसको हम बांध रहे हैं तुम्हारे साथ उसकी यह यह शिकायतें हैं । तो हमें इन शिकायतों को दूर करने के लिये कोई कदम भी उठाना चाहिये । इस तरह की बात का सरकार को कहने का भी उसमें एक मौका मिल सकता है । हम सौदा करने की बात नहीं कर रहे हैं । हम एक ठोस नीति को अख्तियार करने का सरकार को सुझाव देना चाहते हैं । वह इस प्रेस्टीज में कि चूंकि हम कह रहे हैं कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय इसलिये इसे स्वीकार न किया जाय अच्छी बात नहीं है । बहुत छोटा सा अमेंडमेंट है, इसको सेलेक्ट कमेटी में हम भी समझते हैं, लोग ऐसा ही समझेंगे कि दो लफ्जों का अमेंडमेंट है इसको सेलेक्ट कमेटी में क्यों भेजा जाय । लेकिन मैंने पहिले ही कहा है कि इसके पीछे क्या रहस्य है । एक बार सरकार कारखाने वालों से भी तो बात साफ कर लें कि वे ईख की पैदावार बढ़ाने के लिये कुछ करने को तैयार हैं या नहीं । तो मैं समझता हूं कि इन सब बातों को ध्यान में रख कर कोई ऐसा विधेयक में इस तरह का परिवर्तन करें जिसमें इन सारी चीजों का सेफगार्ड हो सके ।

अन्त में यह भी कहूंगा कि सरकार ने जो कम से कम ५२-५३ और ५३-५४ के सम्बन्ध में आश्वासन दिया था किसानों को कि उन्हें अतिरिक्त लाभ में हिस्सा दिया जायगा उसके बावजूद क्या हुआ करीब-करीब १६ या १८ करोड़ के बीच में किसानों का इन दोनों वर्षों में गला काट करके मिल मालिकों ने रख लिया है । मैं क्या यह नहीं कह सकता कि कोई भी डेवलपमेंट का कार्य इन रुपयों से नहीं हुआ । जो उन्हीं किसानों का था अगर यह भी होता तो हमें कुछ संतोष होता कि डेवलपमेंट के कार्य में वह रुपया खर्च होने जा रहा है तो अप्रत्यक्ष रूप से हमारा भी लाभ होगा । लेकिन नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, यह सारी की सारी रकम उन्होंने काट ली मैं यह भी मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ हद तक असमर्थ है, क्योंकि कीमत तय करने का, कीमत दिलाने का काम तो स्टेट गवर्नमेंट का है, लेकिन तय करने का काम केन्द्रीय सरकार का है । फिर भी मैं एक मर्तबा उत्तर प्रदेश की सरकार से निवेदन करूंगा कि सारे भारतवर्ष में जितने गन्ने की चीनी पैदा की जाती है उसका ५४ फीसदी तो अकेले हम पैदा करते हैं । तो हम आपसे यह निवेदन करें और सरकार से पूंछना चाहता हूं कि क्य सबसे ज्यादा पैदा करने वाले की सबसे ज्यादा आवाज़ नहीं होना चाहिये । हमको सबसे ज्यादा इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि गन्ने के जो पैदा करने वाले हैं उनकी तकलीफें दूर हों, कोई अन्याय न हो, उसकी कमाई हुयी चीज लोग निकाल न ले जायं परन्तु क्या उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी इस जिम्मेदारी को ठीक ठीक निबाह रही है ? दूसरी ओर यह भी देखें कि कितने आदमियों के हाथ में यह रकम जाती है, सिर्फ ६६ मिलमालिकों के हाथ में । हम मानते हैं कि केन्द्रीय सरकार इसमें से जो ईमानदारी से मिलमालिक मुनाफा दिखायेंगे उसमें से ५० प्रतिशत इन्कमटैक्स में मिल जायगा लेकिन फिर भी काश्तकार के घर में यह पैसा आता १६ या १८ करोड़ तो इन दो वर्षों में मालूम नहीं किस-किस तरफ यह पैसा बटता और सारे प्रदेश में १५ लाख परिवारों का यह पैसा करोड़ों व्यक्तियों तक पहुंचता जिससे हमारी क्रय शक्ति भी न गिरती और अगर न गिरती तो हैन्डलूम इंडस्ट्री की बरबादी जो हो रही है वह भी इस सीमा तक न हो पाती । तो शुगर इंडस्ट्री को जब देखते हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार से यह जरूर कहना चाहते हैं कि यह सरकार शुगर इंडस्ट्री को सौतली मां की निगाह से न देखें । मैं जानता हूं कि यह इंडस्ट्री ऐसी थाती है कि वह कभी कोई सरकार बने उसके लिये बड़ी नियामत की चीज होगी । मैं सरकार से आखिर में एक ही दरख्वास्त करूंगा कि इन सब बातों का विचार करके जो कुछ मैंने कहा है और जो आश्वासन पिछले वर्ष में सरकार द्वारा दिया है उस ओर ध्यान दे । उसके लिये अश्रद्धा लोगों में पैदा न हो, इसका भी ध्यान रखे । बड़ी बेकरारी के साथ लोग इंतजार

कर रहे हैं कि आखिर सरकार करने क्या जा रही है । सरकार उन आश्वासनों को पूरा कराने के लिये कौन सा कदम उठा रही है । तो आखिर सरकार इस बात को भी सोचे, अपनी जिम्मेदारी को भी सोचे तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री जी के मध्यस्थ होने के बाद अगर लोगों में यह अविश्वास की भावना पैदा हो तो यह ठीक नहीं है । यह भावना पैदा हो कि हमको धोखा दिया जा रहा है तो वह सरकार के लिये मुनासिब बात नहीं होगी । लोगों में यह भावना पैदा हो रही है और वे समझने लगे हैं कि पिछले वर्ष जो कुछ हमसे कहा गया था केवल बहकाने के लिये कहा गया था और धोखा था । उपाध्यक्ष महोदय, हम तो सरकार के आश्वासन को थोड़ी देर तक मानने में आनाकानी करते रहे कि अब फिर भी मैं यह सोच रहा हूं कि सरकार का ध्यान इस मौके पर इस बात की तरफ दिला करके समाप्त कर दूं और सरकार से फिर जोर देकर कहूं कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने में संकोच न करे ।

श्री उपाध्यक्ष--इसका कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं आया है ।

श्री गेंदासिंह--प्रस्ताव के लिये मैं आपसे कहा था कि अगर आप की इजाजत हो तो मैं लिख करके दे सकता हूं, आपके सामने भेज देता हूं और मैं सोचता हूं कि अगर सरकार राजी हो जाय तो बहुत सा विवाद खत्म हो जाय ।

श्री बनारसी दास--विवाद तो काफी अभी हो चुका है और फिर भी पुनरावृत्ति कर रहे हैं ।

श्री गेंदासिंह --बिल्कुल नहीं कर रहा हूं । अगर आप इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दें तो अच्छा हो । बस इतना ही निवेदन करके उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप सरकार को राजी कर सकें कि सेलेक्ट कमेटी में यह बिल चला जाय तो बहुत सी चीजें हल हो जायं ।

श्री बनारसी दास--उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई गैरसरकारी प्रस्ताव शुगर की तमाम नीति के सम्बन्ध में, अगर शुगर इंडस्ट्री के बारे में आता और उस पर माननीय गेंदा सिंह जी की विस्तारपूर्वक यह तकरीर होती तो ज्यादा उचित होता । विकास के जितने साधन हो सकते हैं उसमें केवल एक साधन जो मौजूदा अधिनियम इस वक्त चालू है जिसके द्वारा शुगर केन की सप्लाई के ऊपर अधिकार ले रखा है वह केवल एक सीमित अधिकार सरकार इस संशोधन के द्वारा रखना चाहती है । शुगर इंडस्ट्री कैसे विकसित हो सकती है उसकी कीमत क्या हो, किस तरह से इसके उत्पादन को बढ़ाया जाय वह सब इस विधेयक की परिधि के बाहर हैं । बजट अभी आने वाला है यदि सरकार ने शुगर के उत्पादन में सफलता नहीं हासिल की है, यदि उसने कोई वायदा गन्ने की कीमत के सम्बन्ध में किया है उसको पूरा नहीं कर पायी है तो सबको पूरा पूरा मौका इस विभाग के सम्बन्ध में बजट के समय आलोचना करने का मिलेगा या कोई गैर सरकारी प्रस्ताव माननीय गेंदा सिंह जी की तरफ से या और माननीय सदस्य की तरफ से उसकी नीति का सिंहावलोकन करने के लिये, बहस करने के लिये लाया जा सकता है । लेकिन जब गेंदा सिंह जी इस चीज को मानते हैं कि गन्ने की कीमत निश्चित की जाय यह भी मानते हैं कि ६६ मिलें प्रत्येक प्रोड्यूसर को एक कीमत में करेंगी तो यह आपत्ति करना कि यदि इस विधेयक को पास कर देते हैं तो जबरदस्ती उन काश्तकारों का सम्बन्ध मिल-मालिकों के साथ जोड़ दिया जायगा बहर हाल उन ६६ मिलों में माननीय गेंदा सिंह जी कोई भेद करते हैं । उनकी नीति एक है और फिर गेंदा सिंह जी क्या यह बतला सकते हैं कि इन ८,७ साल के अर्से में गन्ने के सेंटरों में कितनी तब्दीलियां होती हैं । पारसाल केवल सरकार के पास गन्ने के सेंटरों के सम्बन्ध में ५,६ अपीलें आयी थीं । वह तो प्रत्येक साल जितने सेंटर हैं उनको दोहरा दिया जाता है । मैं नहीं कहता कि गन्ने के विकास के लिये और उपाय नहीं हो सकते, गन्ने का विकास बढ़ाया जा सकता है उसकी कीमतों के ऊपर भी विचार किया जा सकता है । लेकिन इस वक्त तो प्रश्न केवल इतना है कि केन कमिश्नर गन्ने के सेंटरों को एक साल के लिये निश्चित कर दे किसी मिल के लिये और अब उनको और अधिकार हो कि एक साल से अधिक

[श्री बनारसी दास]

भी उसे निश्चित कर सके । जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी कहते हैं मिल मालिकों ने अपने बचन का पालन नहीं किया, तो एक शिकायत उनको यह भी है कि जब उनको यह मालूम नहीं कि यह हमारा सेंटर होगा या नहीं तो हम कैसे उसके विकास के लिये कोशिश करें, तो हम उनको यह भी अब मौका देना चाहते हैं और इसके बाद हम उन पर दबाव भी डालना चाहते हैं । अगर वह गन्ने की कीमत नहीं देते हैं । तो उनके खिलाफ ऐक्शन लेने के लिये और रेग्युलेशंस मौजूद हैं जिनके मातहत उनके ऊपर ऐक्शन लिया जा सकता है या और दूसरे अधिकार सरकार ले सकती है, उनकी मिलों को अपने कब्जे में ले सकती है और आपके जिले के अन्दर तो एक मिल को लिया भी है गवर्नमेंट ने । केन्द्रीय सरकार का नियम मौजूद है और आगे वह विधान में भी तब्दीली करना चाहते हैं ताकि वह इंडस्ट्रीज को ले सकें । लेकिन इस विधेयक के ऊपर इतने विस्तार से बहस करना और उस सबको इसके अन्दर लाना, मैं समझता हूं उचित नहीं है और इनका इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है । एक साल से ज्यादा समय केन कमिश्नर निश्चित कर सके, इससे कोई अहित किसान का होना वाला नहीं है । तो इसलिये जो चिन्ता माननीय गेंदा सिंह जी की तरफ से इस वक्त जाहिर की गयी है मैं तो उस चिन्ता के लिये तो कोई बात देखता नहीं । इस बिल का जहां तक सम्बन्ध है यह तो बड़ा निर्दोष किस्म का है और उससे यह सहायता मिलती है कि हम नियोजन कर सकें । प्लानिंग कर सकें और जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने डेवलपमेंट कांफ्रेंस के अन्दर मिल मालिकों से कहा था कि वह विकास के लिये ५० प्रतिशत सरकार की ओर दे देंगे और वह स्वय भी दें, तो उसको कार्यान्वित करने के लिये एक योजना उन क्षेत्रों के लिये बन सके यही इस विधेयक की मंशा है । इसलिये सेलेक्ट कमेटी को सिपुर्द करने का जो प्रस्ताव माननीय गेंदासिंह जी ने किया है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है । जो उन्होंने अभी विषद् व्याख्या की है, इसे सेलेक्ट कमेटी में ले जाने के लिये, उससे कोई फायदा नहीं होने का है । यदि नीति पर कोई वाद विवाद करना चाहते हैं तो वह आप बजट के समय कर सकते हैं और उस समय आप जो कुछ कहेंगे, आपके विचारों की रोशनी में यदि आवश्यकता हुयी तो बाद में सोचा जायगा कि आया इस पर अलग कोई विचार करने की आवश्यकता है ? इसलिये सेलेक्ट कमेटी को सिपुर्द करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं । इस वक्त तो आवश्यकता इस चीज की है कि इस विधेयक को इसी रूप में स्वीकार किया जाय । इसलिये मैं इसे सदन के विचारार्थ उपस्थित करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९५४, पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--इसमें कोई संशोधन तो है नहीं ।

खंड २ व ३

उत्तर प्रदेश अधिनियम २४, १९५३ की धारा १२ का संशोधन ।

२--उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ की, जिसे यहां पर आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है, धारा १२ की उपधारा (१) में शब्द "मौसम" तथा शब्द "के लिये" के बीच में शब्द "या मौसमों" तथा शब्द "किया जाय" के स्थान पर शब्द "किये जायं" रख दिये जायं ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम २४, १९५३ की धारा १५ का संशोधन ।

३--मूल अधिनियम की धारा १५ की उपधारा (१) में शब्द "किसी विशेष पेराई के मौसम के भीतर" के स्थान पर शब्द "एक या एकाधिक पेराई के मौसम या मौसमों के भीतर, जो निर्दिष्ट किये जायं" रख दिये जायं ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ और ३ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९५४

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ को संशोधित करने का

विधेयक

यह आवश्यक है कि यहां पर आगे चल कर प्रतीत होने वाले प्रयोजन के निमित्त उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ को संशोधित किया जाय, — उत्तर प्रदेश अधिनियम २४, १९५३।

अतएव भारतीय गणतंत्र के पांचवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, १९५४ कहलायेगा। — संक्षिप्त शीर्षक तथा नाम

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा। — प्रारम्भ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बनारसी दास---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक १९५४ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९५४ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सदन की बैठक स्थगित करने का प्रस्ताव

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दोनों दलों के निश्चय के अनुसार भवन की बैठक अब आज के लिये स्थगित कर दी जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---उपाध्यक्ष महोदय, आज के लिये जितना कार्यक्रम था वह स्वीकार हो चुका है, इसलिये मुझे इस प्रस्ताव में कोई एतराज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब आज के लिये यह बैठक स्थगित की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ३ बजकर ४२ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१४ फरवरी, १९५५।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३७ पर)

आजमगढ़ जिले में पशु-चिकित्सालयों पर होने वाले व्यय का ब्यौरा—बोर्ड द्वारा खर्चा

क्रम सं०	खर्चे की मद	चिकित्सालयों के नाम												कुलचिकित्सालयों पर खर्चा		
		आजमगढ़ सदर			मऊनाथ भंजन			फूलपुर			घोसी					
		रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
१	डाक्टर की तनख्वाह के लिये दी जानेवाली रकम	४८३	०	०	४०७	११	०	३४१	८	०	३९६	०	०	१६२८	३	०
२	कर्मचारी वर्ग का वेतन	२,७४६	०	०	१,४७६	०	०	१,५५८	०	०	१,५०३	१४	०	७,२८३	१४	०
५	कर्मचारी वर्ग का फंड	३६	१०	०	३३	०	०	३८	२	०	३३	०	०	१४०	१२	०
४	दवाइयां	१५६	०	०	१७१	१५	६	१३५	०	०	१०७	०	०	५६९	१५	६
५	डाक खर्च	१७	०	०	४३	०	०	२६	०	०	४०	०	०	१२६	०	०
६	इमारत का किराया		..		३००	०	०		..			..		३००	०	०
७	कागज इत्यादि	१२	०	०	१२	०	०	१८	०	०	१२	०	०	५४	०	०
८	फुटकर खर्चे	४५०	४	०	२६८	१०	०	१८१	४	०	१२०	७	०	१,०२०	९	०
९	मरम्मत इमारत		..			..			..		४५	०	०	४५	०	०
	योग ..	३,९००	१४	०	२,७१२	४	६	२,२९७	१४	०	२,२५७	५	०	१,११६८	५	६
		सरकार द्वारा खर्चा														
		रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	प०
१	डाक्टर का वेतन	१,८२८	१	०	१,७९२	६	०	१,३१०	१२	०	१,३९३	१०	०	६३२४	१३	०
२	चपरासी का वेतन	३३४	०	०	२९८	४	०	२७५	८	०	२७६	०	०	११८३	१२	०
३	सफर भत्ता	४२१	११	०	४९२	०	०	२७२	१३	०	४६७	१०	०	१६५४	२	०
४	मंहगाई	५७३	६	०	६३९	४	०	५०९	१	०	५४६	०	०	२२६७	११	०
	योग ..	३१५७	२	०	३२२१	१४	०	२३६८	२	०	२६८३	४	०	११४३०	६	०

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ३०० एल० ए०—१९५५—८०० ।